दैनिक नवप्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com | रायपुर, बुधवार 2 सितम्बर 2020, भाद्रपद पूर्णिमा, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-202 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

वाकई ये बड़ी बेइंसाफी है। इस भीषण महंगाई के दौर में किसी दो कौड़ी के आदमी पर पूरे एक रूपए का जुर्माना लगाना गरीब के साथ घोर अन्याय है। बेचारा एक रूपए कहां से लाएगा? उसे जुर्माने की रकम आसान किश्तों में जमा करने की छूट मिलनी चाहिए या फिर बगैर ब्याज के बैंक से कर्ज लेने की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। इसके लिए किसी जमानतदार की अनिवार्यता का प्रावधान भी खत्म किया जाना चाहिए। बंदा चाहे जैसा भी है लेकिन इतना भी हलकट नहीं है कि बैंक का कर्ज डकार कर भाग जाएगा और अपनी बेइज्जती खराब कराएगा।

नक्सलियों के बाद अब आतंकियों से लोहा लेंगी चारू सिन्हा

श्रीनगर ए.। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग में अब महिला अधिकारी भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आईपीएस अधिकारी चारु सिन्हा को आतंकवाद प्रभावित श्रीनगर सेक्टर के आईजी पद पर नियुक्त किया है। श्रीनगर सेक्टर में सीआरपीएफ की आईजी बनने वाली चारु पहली महिला अधिकारी हैं।

सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर की आईजी बनीं चारु सिन्हा 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। चारु के साथ ही 6 आईपीएस और 4 सीनियर कैडर अधिकारी भी सीआरपीएफ में शामिल हुए हैं या तबादला हुआ है। आईपीएस अधिकारियों में महेश्वर दयाल (झारखंड सेक्टर), पीएस रानपीसे (जम्मू सेक्टर), राजू ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर की आईजी बनीं चारु पहली महिला आईपीएस अधिकारी होने का गौरव

- 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं
- बिहार सेक्टर की आईजी रहते हुए नक्सल ऑपरेशन हेड कर चुकी हैं

पहली महिला आईजी के रूप में होगी तैनात

बता दें कि श्रीनगर सेक्टर की शुरुआत 2005 में हुई थी। सीआरपीएफकी इस सेक्टर का काम आतंक विरोधी अभियानों को भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद से अंजाम देना है। अब तक कभी भी यहां पर आईजी के रूप में महिला अफसर की तैनाती नहीं हुई थी।

नक्सल ऑपरेशन में शामिल

यह पहला मौका नहीं है, जब चारु सिन्हा को कोई चुनौतीपूर्ण टास्क दिया गया हो। इससे पहले वह सीआरपीएफ बिहार सेक्टर की आईजी रहते हुए नक्सलियों के खिलाफऑपरेशन में शामिल रह चुकी है। चारु ने बतौर आईजी बिहार रहते हुए सीआरपीएफने कई सफल नक्सल अभियान को अंजाम दिया था।

लद्दाख में चीन को जवाब देने मास्टर प्लान!

सीडीएस रावत, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल की हाई लेवल मीटिंग

- पहली बार पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर टकराव
- भारतीय सेना ने नाकाम की थी चीन की चाल

नई दिल्ली ए.। लद्दाख में जहां लगातार चीन दुस्साहस कर रहा है, वहीं भारतीय जवान भी उसे उसकी भाषा में ही जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सीमा पर चल रही चीन की साजिशों, लद्दाख के ताजा हालात और भविष्य की रणनीति को लेकर दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवाना और मिलिटरी ऑपरेशन्स के महानिदेशक इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए। दूसरी ओर ■ शेष पृष्ठ 6 पर

'चीन अपने सैनिकों को करे अनुशासित'

भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि चीन अपने सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखे। मंत्रालय ने कहा है कि लगातार हो रही बातचीत का चीनी पक्ष ने उल्लंघन करते हुए पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर यथास्थिति को बदलने के लिए 29-30 अगस्त की रात उत्तेजक सैन्य कार्रवाई की। जिनका भारतीय पक्ष ने भी जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने राजनयिक और सैन्य दोनों ही स्तरों पर चीनी पक्ष के साथ हाल की उत्तेजक और आक्रामक कार्रवाइयों की बात उठाई है। हमने उनसे इस तरह की उत्तेजक कार्रवाई को लेकर अपने सैनिकों को अनुशासित और नियंत्रित करने का आग्रह किया है।

चीन-पाक सीमा पर और बढ़ेगी ताकत

2580 करोड़ में स्वदेशी कंपनी से ही पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीद रही सरकार

__नई दिल्ली ए.।__ सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच अपनी सैन्य शक्तियों को और भी अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लांचर खरीदने के लिए 2580 करोड़ रु का समझौता किया। रक्षा मंत्रालय ने छह सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लांचर खरीदने को लेकर सोमवार को दो अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ समझौता किया। अधिकारियों ने बताया कि पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की संचालन तैयारियां बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ लगती भारतीय सीमा पर तैनात किया जाएगा।

हमारी रणनीति चीन को हर मोर्चे पर पीछे धकेलने की : अमेरिका

वॉशिंगटन ए.। लद्दाख के गलवान में 15 जून को हुई हिंसक झड़प पर अमेरिका ने एक बार फिर भारत का खुला समर्थन किया है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने कहा कि चीन अपने हितों के हर मोर्चे पर लड़ाई तेज कर रहा है। अमेरिका की रणनीति भारत के गलवान घाटी पर संप्रभुता के दावे सहित सभी मोर्चों पर चीन को पीछे धकेलने की है।

70 साल में एक इंच विदेशी जमीन पर नहीं किया कब्जा : चीन

बीजिंग ए.। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव के लिए चीन ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। बीजिंग ने कहा है कि भारत और चीनी सैन्य बयान अलग-अलग थे। वहां केवल एक सच्चाई और तथ्य था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा है कि नए चीन के इतिहास में उसने कभी भी दूसरे देश के क्षेत्र में एक इंच भी कब्जा नहीं किया। बीजिंग ने कहा है कि भारत को चीन की चिंताओं की गंभीरता से लेना चाहिए और सीमा पर शांति कायम करने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए चीन की स्थापना के 70 साल बाद, चीन ने कभी किसी युद्ध या संघर्ष को उकसाया नहीं और कभी भी दूसरे देश के क्षेत्र में एक इंच भी कब्जा नहीं किया।

'कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़' बनाने सीएम ने लिखा पत्र

- सीएम भूपेश ने पोषण माह में सहयोग के लिए सांसदों, विधायकों, महापौर, नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों का किया आह्वान

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सितम्बर से शुरू हो रहे राष्ट्रीय पोषण माह में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों, विधायकों, महापौर, नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों से अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करने का आह्वान किया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में किए गए सक्रिय सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों में व्याप्त कुपोषण और एनीमिया को समाप्त करने के लिए विधायकगणों का हमेशा सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है। विगत वर्षों में पोषण माह के आयोजन के दौरान भी सभी से सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 के आयोजन में सभी के सक्रिय सहयोग, समन्वय और पूर्ण भागदारी की अपेक्षा है। कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न वैश्विक आपदा की स्थिति के कारण इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह को अन्य माध्यमों के साथ-साथ यथा आवश्यकता डिजिटल जन-आंदोलन के रूप में मनाया जाना है। इस हेतु तकनीक एवं समन्वय का उपयोग करते हुए वर्चुअल बैठक, सोशल मीडिया, मास मिडिया, प्रिंट मीडिया का वृहत स्तर पर उपयोग किया जाना है।

1 से 30 सितम्बर तक चलेगा राष्ट्रीय पोषण माह

श्री बघेल ने कहा कि बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया एक गंभीर समस्या है। कुपोषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से पोषण अभियान का संचालन किया जा रहा है। समुदाय तक पोषण के प्रति जागरूकता, व्यवहार परिवर्तन, सम्प्रेषण एवं पोषण संवाद के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जन-आंदोलन के रूप में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। सम्पूर्ण राज्य में इस वर्ष भी 01 सितम्बर 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाना है।

अच्छी खबर

स्कूल शिक्षा विभाग के 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती

- व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची की वैधता में एक वर्ष की वृद्धि

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग में 14 हजार 580 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची की वैधता में एक वर्ष की वृद्धि कर दी है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आज मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय ने 9 मार्च 2019 को 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन की कण्डिका में यह उल्लेख था कि व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची, परीक्षाफल जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगी। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण वर्तमान में भर्ती की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है, इसलिए विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल की सूची में एक वर्ष की वृद्धि की है।

कोरोना अपडेट

देश	टोटल केस	मौत
भारत	3,733,936	65,922
अमेरिका	6,217,573	187,891
ब्राजील	3,910,901	121,515
मैक्सिको	599,560	64,414
ब्रिटेन	335,873	41,501
इटली	269,214	35,483
फ्रांस	281,025	30,635
स्पेन	462,858	29,094
ईरान	376,894	21,672
रूस	1,000,048	17,299

ये आंकड़े रात 9 बजे तक

शेयर बाजार

सेंसेक्स- 38900.80
निफ्टी- 11470.25
गोल्ड- 51813 (10 ग्रा.)
सिल्वर- 68950 (1 कि ग्रा.)

एजीआर मामले में सुको सख्त

टेलीकॉम कंपनियों को राहत और चेतावनी भी

- बकाया चुकाने के लिए दिया 10 साल का वक्त

नई दिल्ली ए.। दूरंसचार कंपनियां को समायोजित सकल आय (एजीआर) से संबंधित बकाया चुकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज जैसी दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाया चुकाने के लिए दस साल का समय दिया। कोरोना काल में एक तरह से देखा जाए तो इस फैसले से एयरटेल, वोडाफोन को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने समय पर भुगतान नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना की भी चेतावनी दी है। गौरतलब है कि जस्टिस मिश्रा कल यानी 2 सितंबर को ही रिटायर हो रहे हैं और उन्हें इस मामले में फैसला देना था। समायोजित सकल राजस्व की राशि करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए है। अरुण मिश्री की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी।

नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने संभाला कार्यभार

नई दिल्ली (वार्ता)। नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया। पूर्व वित्त सचिव श्री कुमार को अशोक लवासा के स्थान पर नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। गौरतलब है कि श्री लवासा ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था और वह मनीला में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। श्री कुमार 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और बिहार तथा झारखंड के अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में शीर्ष पदों पर काम कर चुके हैं। श्री कुमार लोक उद्यम नियुक्ति बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन

- राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार

नई दिल्ली ए.। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मंगलवार दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गए। मुखर्जी का अंतिम संस्कार दिल्ली के लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 'कोरोना काल' की वजह से श्मशान घाट पर पूर्व राष्ट्रपति का परिवार और रिश्तेदार पीपीई किट में मौजूद रहा। मुखर्जी का सोमवार की शाम सेना के दिल्ली स्थित रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया था। वह 84 वर्ष के थे। उन्हें गत 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। इस दौरान, उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी।

पूर्व राष्ट्रपति के निधन के बाद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने मंगलवार को उनके अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

विवादित ढांचा विध्वंस केस

सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पूरी

अयोध्या ए.। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत में सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली। मामले की सुनवाई की रहे न्यायाधीश बुधवार, दो सितंबर से अपना फैसला लिखना शुरू करेंगे। इससे पहले वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, आईबी सिंह और महिपाल अहलूवालिया ने आरोपियों की तरफसे मौखिक दलीलें पेश की, इसके बाद सीबीआई के वकीलों ललित सिंह, आरके यादव और पी. चक्रवर्ती ने भी मौखिक दलीलें दीं।

आडवाणी-जोशी समेत 32 लोग आरोपी

दोनों पक्षों की दलीलें पेश होने के बाद विशेष न्यायधीश एस.के. यादव ने कहा कि वह बुधवार से फैसला लिखवाना आरंभ करेंगे। दशकों पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी रितंभरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं।

351 गवाहों की पेशी

अभियोजन पक्ष सीबीआई आरोपियों के खिलाफ351 गवाहों और लगभग 600 दस्तावेज प्रस्तुत कर चुकी है। न्यायधीश को इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समयानुसार इस माह के अंत तक फैसला सुनाना है। गौरतलब है कि अयोध्या में विवादित ढांचे को कार सेवकों ने दिसंबर 1992 में ढहाया था।

गरमा-गरम

पृष्ठभूमि | चीन इस समय दाने-दाने को मोहताज, 1962 में भी ऐसे ही थे हालात

'जंग' की आड़ में चीन की भुखमरी को छिपा रहे जिनपिंग

पेइचिंग ए.। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में भारत से उलझा चीन इस समय दाने-दाने को मोहताज है। इसकी बानगी तभी देखने को मिल गई जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगस्त में क्लीन योर प्लेट अभियान को शुरू किया था। खाने की कमी से जूझ रहा चीन भारत से उलझ कर उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी में अप्रैल से लेकर अगस्त तक चीन ने कम से कम 5 बार लाइव फायर ड्रिल भी की है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी कोशिश है कि जनता का ध्यान गरीबी और भुखमरी से हटकर देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर केंद्रित हो जाए।

इस साल भी 1962 जैसी भुखमरी

भुखमरी से ध्यान हटाने के लिए चीन भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ा रहा है। 1962 में भी जब चीन में भयानक अकाल पड़ा था तब भी चीन के सर्वोच्च नेता माओत्से तुंग ने भारत के साथ गैर बराबरी की जंग छेड़ दी थी। हजारों लोगों की भूख से मौत हो गई थी इसे लेकर चीनी शासन के खिलाफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट भी चला था। ठीक वैसा ही इस समय चीन के वुल्फवॉरियर कहे जाने वाले राजनयिक और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कर रही है।

'जंग' कर खाद्य संकट को छिपा रहे जिनपिंग

कोरोना वायरस के कारण चीन में खाद्यान संकट गहराता जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2013 के क्लीन योर प्लेट अभियान को फिर से लॉन्च किया है। पश्चिमी मीडिया का भी मानना है कि चीनी प्रशासन इस योजना की आड़ में देश में पैदा हुए खाद्य संकट को छिपा रहा है। चीन इस समय दशक के सबसे बड़े टिड्डियों के हमले से जूझ रहा है। जिससे देश के दक्षिणी भाग में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इन्हें काबू में करने के लिए चीनी सेना तक अभियान चला रही है।

निर्वाचन के 6 माह बाद भी नहीं हुई संचार व संकर्म समिति की बैठक

निर्धारित तिथि पर अधिकारी फोन बंदकर हो जाते है गायब, सभापति ने जताई नाराजगी

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। जिला पंचायत के चुनावों को खत्म हुए 7 माह से ज्यादा हो गया है लेकिन जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारीयों ने संचार और संकर्म समिति की बैठक नहीं बुलाई हैं। इसके चलते विभिन्न विभागों की मुख्य समस्याओं के संबंध में कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार चुनावों के 25 दिन के भीतर हर समिति कि बैठक होना अनिवार्य हैए मगर इस ओर न अध्यक्ष ध्यान दे रहे हैं और न ही जिला पंचायत सीईओ इसे गंभीरता से ले रहे हैं। पंचायत राज अधिनियम की धारा 44 (4) में यह उल्लेख है कि जिला पंचायत की बैठक हर माह में कम से कम एक बार बुलाया जाएगा। यदि अध्यक्ष किसी महीने बैठक बुलाने में असप?ल रहते हैं तो जिला पंचायत सीईओ पिछले बैठक की तारीख के बाद 25 दिन बीतते ही संबंधित पंचायत की बैठक की सूचना जारी करेंगे, मगर अधिनियम के इस प्रावधान का जिले में खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

सचिव बैठक बुलाकर हो जाते है गायब

संचार संकर्म समिति सचिव अमित अग्रवाल ने समिति के सभापति और अन्य सदस्यों को 24 अगस्त 2020 को बैठक की सूचना दी थी, किंतु उस दिन बैठक के लिए जब जिपं सदस्य पहुंचे तो समिति के सचिव फोन बंद कर गायब थे। जिपं का अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं हैं।

ज्ञापन सौंप कर बैठक करने कि मांग

संचार संकर्म समिति की अध्यक्ष पुष्पा भुनेश्वर यादव ने बताया कि पंचायत चुनावों को सम्पन्न हुए 7 माह में से ज्यादा हो गए हैं। इन 7 माह में सभी समितीयों की बैठक हो चुकी है, किंतु मेरी अध्यक्षता वाली संचार संकर्म समिती की बैठक नहीं हो पायी है। संचार संकर्म समिति जिले के सभी निर्माण कार्यों की समिक्षा व निगरानी का काम करती हैं। ऐसे में ऐसी महत्वपूर्ण समिति कि बैठक का आयोजन हमेशा समय पर होना चाहिए। इसी वजह से हमने 3 सितंबर को जिपं सीईओ को ज्ञापन सौंप कर बैठक बुलाने कि मांग कि हैं। उन्होंने आगे कहा है की जिला पंचायत का कार्यकाल अभी साल भर भी नहीं हुआ हैए मगर पंचायती राज की सबसे बड़ी इकाई में इस तरह नियमों की अनदेखी से जिला पंचायत के सभी सदस्य आक्रोशित हैं। वे कई बार बैठक बुलाने की मांग भी कर चुके हैं मगर नियम कानून की परवाह यहां किसी को नहीं है।

प्रतिमाओं के विसर्जन पश्चात तालाबों की सफाई में जुटा निगम अमला

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। नगर पालिक निगम प्रशासन मूर्ति विर्सजन के बाद घाट और तालाबों की सफाई में जुटा हुआ है। विसर्जन के बाद पानी में तैर रहे फूल माला और कपड़े को जाली से खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। सूखने के बाद सफाई वाहन से भरकर फूलमाला और कचरे को एसएलआर सेंटर पहुंचाया जा रहा है। ताकि उससे जैविक खाद तैयार किया जा सके।

तालाबों की सफाई के लिए 52 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 3.4 कर्मचारियों का 13 दल बनाई गई है। दो पाली में ड्यूटी लगाई गई है। सफाई करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि प्रतिमा के साथ फूल माला, हार और सजावटी सामान तालाब में चली जाती है। प्रतिमा नीचे चला जाता है। फूल माला पानी में तैरने लगते हैं उन्हें निकालने का कार्य किया जा रहा है। सूखने के बाद गाडियों में भरकर एसएलआर सेंटर ले जाया जाता है।

वार्ड.1 खम्हरिया आलाबांद तालाब वर्तमान नाम राजीव गांधी सरोवर, वार्ड.2 स्मृति नगर तालाब वर्तमान अटल बिहारी वाजपेयी सरोवर, वार्ड.7 सुंदर नगर तालाब वर्तमान स्वामी विवेकानंद सरोवर और आमा तालाब कोहका रोड वर्तमान संत शिरोमणि सेनजी महाराज, वार्ड.9 कोहका आर्य नगर तालाब वर्तमान नाम महात्मा गांधी सरोवर, वार्ड.9 भेलवा तालाब वर्तमान रानी लक्ष्मी बाई सरोवर, जोन.2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड.16 कुरूद नकटा तालाब वर्तमान देवदास बंजारे तालाब, वार्ड.19 केम्प.1 जय शंकर पार्वती तालाब, वार्ड.27 घासीदास नगर तलाब वर्तमान नाम शिवशक्ति तालाब, जोन.3 मदर टेरेसा नगर अंतर्गत वार्ड.21 बैकुंठधाम तालाब और सेक्टर.2 तालाब, जोन.4 वीर शिवाजी नगर अंतर्गत वार्ड.28 दर्री तालाब छावनी वर्तमान शहीद चुम्मन यादव सरोवर, जोन.5 सेक्टर.6 अंतर्गत वार्ड.57 जयंती स्टेडियम के पीछे स्थित तालाब में प्रतिमा विसर्जन के साथ.साथ सफाई का कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में विधायक ने मांगे 2.5 करोड़

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। विधायक अरुण वोरा ने शहर के स्कूलों अस्पताल, कालेज, यूनिवर्सिटी एवं छात्रावास जैसे सार्वजनिक स्थानों में बेहतर एवं सुदृढ सड़कों की उपलब्धता को आवश्यक बताते हुए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत शहर के लिए 2.5 करोड़ रु की मांग की है। उन्होंने मालवीय नगर स्थित पोस्ट मैट्रिक अनु जाति छात्रावास प्रयास एवं ट्रांजिट हॉस्टल पहुंच मार्ग, पद्मनाभपुर पुलिस चौकी, दुर्ग विश्वविद्यालय, फायर स्टेशन, झाडूराम देवांगन एवं आदर्श कन्या स्कूल, श्रम न्यायालय, वीवीपैट गोदाम, जच्चा बच्चा अस्पताल, लोनिवि व आरईएस कार्यालय एवं एसटीएफ बघेरा के पहुंच मार्गो का निर्माण करने कुल 2.48 करोड़ रु की मांग की है। श्री वोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजनों को बेहतर अधोसंरचना एवं विकास देने हेतु संकल्पित है स्कूल, अस्पताल, हॉस्टल, शासकीय कार्यालयों एवं अस्पतालों की बेहतर स्थिति से ही शहर की पहचान बनती है। सार्वजनिक स्थानों में प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन लगा रहता है इसलिए सुगम सड़क योजना अंतर्गत शासन से राशि की मांग की गई है। स्वीकृति लेकर जल्द निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया जाएगा जिससे जनता को सुविधा मिलेगी।

40 वार्ड का बनाया जा रहा मतदाता नामावली, अधिकारी ने की समीक्षा

नवप्रदेश संवाददाता

रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली गठन के बाद नए परिसिमन के आधार पर चुनाव होना है। इसके लिए प्रारंभिक मतदाता सूची बनाने का कार्य तेजी से चल रहा हैं। वर्तमान में विधानसभा के लिए तैयार मतदाता सूची को आधार बनाकर मतदाता नामावली तैयार किया जा रहा हैं इस कार्य को देखने सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जंयत बघेल निगम कार्यालय पहुंचे। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लगभग घंटे भर तक अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान आने वाले समस्याओं के बारे में पूछा। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने मतदाता नामावली तैयार करने वाले कर्मचारियों की संख्या के साथ ही बीएलओं द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा भी की। उन्होंने डाटा एंट्री कक्ष का अवलोकन कर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान रिसाली निगम के हरचरण सिंह अरोरा व सुरेश देवांगन उपस्थित थे। भिलाई नगर पालिक निगम में आने वाले दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र को पृथक कर रिसाली नगर पालिक निगम का गठन किया गया है। आरंभ में 13 वार्ड थे। वर्तमान में परिसिमन के बाद 40 वार्ड बनाए गए। परिसिमन के बाद वार्डवार मतदाता नामावली बनाने का कार्य किया जा रहा हैं। **रिसाली निगम के वार्ड :-** तालपुरी, रूआबांधा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, एचएससीएल कालोनी रूआबांधा, रूआबांधा सेक्टर, रिसाली सेक्टर पूर्व, पश्चिम, डीपीएस रिसाली सेक्टर, दशहरा मैदान सेक्टर, मरोदा सेक्टर पूर्व, पश्चिम, टंकी मरोदा, मरोदा कैंप, मौहारीभाठा, बीआरपी कालोनी, शिवपारा स्टेशन मरोदा, एचएससीएल कालोनी स्टेशन मरोदा, विजय चौक, शंकरपारा, सूर्यानगर, मैत्रीकुंज, प्रगतिनगर, आजाद मार्केट, आशीषनगर पश्चिम, अवधपुरी, मैत्रीनगर, शक्ति विहार, लक्ष्मीनगर, इस्पात नगर शहीद किरण देशमुख, नेवईभाठा, नेवई बस्ती पूर्व, पश्चिम, डुंडेरा पश्चिम, पूर्व, जोरातराई, स्टोरपारा पुरैना, एनएसपीसीएल पुरैना, पुरैना बस्ती शामिल है।

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2019-20

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अरुण कुमार आ. श्यामलाल निवासी डुण्डेरा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम डुण्डेरा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1160, 1163 रकबा 0.1600, 0.0600 हें भूमि जो कि योगेश कुमार पिता रायसिंग अन्य के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी योगेश कुमार पिता रायसिंग की मृत्यु 05.01.2018 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 17.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2019-20

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रदीप कुमार उर्फ प्रकाश कुमार पिता किशोरीलाल निवासी ग्राम उरला मौजा उरला प.ह.न. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 48 रकबा 0.943 हे. भूमि मे ना.बा. प्रकाश आ. किशोरीलाल एवं अन्य नाम दर्ज है। आवेदक के स्कूल प्रमाण पत्र में प्रदीप कुमार साहू दर्ज है। आवेदक द्वारा प्रकाश कुमार उर्फ प्रदीप कुमार शासकीय अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/ आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 22.09.2020 अथवा प्रकाश तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति/ दावा आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1328/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शत्रुघन डाकुआ पिता लिंगराज निवासी ग्राम बोरसीभाठा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 36/10 रकबा 0.022 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार लिंगराज डाकवा आ. कृष्णा डाकवा की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./534/अ-74/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नितिन सिम्पी पिता डी.एन. सिम्पी निवासी ग्राम विद्युत नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 146/134 रकबा 0.014 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 17.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका दानप्राप्तकर्ता हीना लहरे पिता मदनलाल जाटव ध.प. सोमदत्त लहरे निवासी ग्राम बैजनाथपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 555/34 कुल 0.011 हे. मे से रकबा 549 वर्ग. भूमि को दानकर्ता मदनलाल पिता रामप्रसाद निवासी ग्राम बैजनाथपारा दुर्ग से रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 24.08.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 14.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती शकुन बाई जैन पति स्व. भागचंद जैन निवासी ग्राम पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 241/9 रकबा 0.231 हे. भूमि को विक्रेता जगदीश पिता लक्ष्मण दास निवासी ग्राम मालवीय नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 29.05.2015 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.09.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनीष कुमार जैन पिता स्व. भागचंद जैन निवासी ग्राम पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 6/11, 6/12 कुल 0.064 मे से 0.048 हे. मे से रकबा 4600 वर्ग, 3954 वर्ग हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती हरमिंदर कौर पति सुरजीत सिंग सलुजा निवासी ग्राम स्टेशन रोड दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 02.03.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.09.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक उपहारकर्ता मनीष कुमार जैन पिता स्व. भागचंद जैन निवासी ग्राम पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 215/26 रकबा 0.020 हे. भूमि को उपहारकर्ता प्रणेश जैन पिता स्व. भागचंद जैन निवासी ग्राम पद्मनाभपुर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27.05.2016 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.09.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1303/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विजय कुमार गुप्ता पिता स्व. आर.के. गुप्ता निवासी ग्राम सुभाषनगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 168/71 रकबा 0.0180 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार रोहिणी गुप्ता आ. बी.एल. गुप्ता की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 11.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक टी. डंडासी पात्रो आ. स्व. सीतया साकिन सेक्टर 10 भिलाई द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 754/32 रकबा 0.010 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता श्रीमती रंजू श्रीवास्तव आ. श्री शशिभूषण से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 09.09.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 19.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. — पक्षकार का नाम: श्रीमती निगाह अहमद — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202008100400856

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती निगार अहमद पति श्री निजाम अहमद निवासी वार्ड 47 पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं.1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम जुनवानी प.ह.न. 53 तह.व जिला दुर्ग	55/2	0.092 हें 10000 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./180/अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका नीतू साहू पति स्व. तेजप्रकाश साहू निवासी दमोदा तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पति व अन्य 1 के नाम पर ग्राम बोरई प.ह.नं. 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 815, 878 रकबा 0.22, 0.23 हे. भूमि शामिल खाता में दर्ज है। खातेदार/ सहखातेदार तेजप्रकाश व झामबाई की मृत्यु दिनांक होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 08.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./178/अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका नीतू साहू पति स्व. तेजप्रकाश साहू निवासी दमोदा तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पति तेजप्रकाश के नाम पर ग्राम दमोदा प.ह.नं. तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 539 रकबा 0.180 हे. भूमि एकल खाता में दर्ज है। खातेदार तेजप्रकाश की मृत्यु दिनांक 01.06.2020 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 08.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./179/अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका नीतू साहू पति स्व. तेजप्रकाश साहू निवासी दमोदा तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पति तेजप्रकाश के नाम पर ग्राम दमोदा प.ह.नं. 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 780, 781, 309, 483/4, 797, 803/1 रकबा 0.61, 0.61, 0.16, 0.08, 0.14, 0.09 हे. भूमि एकल खाता में दर्ज है। खातेदार तेजप्रकाश की मृत्यु दिनांक 01.06.2020 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 08.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1348/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक भीगेन्द्र सिंह राजपूत पिता कन्हैया सिंह अन्य 1 निवासी ग्राम केलाबाड़ी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह स्थित भूमि खसरा नंबर 1000/23 रकबा 0.016 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदिक भूमि के खातेदार/ वसीयतकर्ता हीरालाल राजपूत आ. स्व. दीनासिंह राजपूत के द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 07.09.2020 पंजीकृत/ अपंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर पंजीकृत/ अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1349/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रमोद कुमार राजपूत पिता स्व. हीरालाल राजपूत निवासी ग्राम कुदेली तहसील साजा जिला बेमेतरा के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1000/23 रकबा 0.016 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार हीरालाल राजपूत आ. स्व. दीना सिंह की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग उतई सर्किल (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./549/अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विजय कुमार गुप्ता पिता स्व. आर.के. गुप्ता उम्र 44 वर्ष निवासी सुभाष नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा आवेदक के पिता स्व. रोहिणी कुमार गुप्ता के नाम पर हक भूमिस्वामी जमीन वाके मौजा धनोरा प.ह.न 39 स्थित भूमि खसरा नंबर 61/3 रकबा 0.04 हे. जमीन स्थित है। स्व. रोहिणी कुमार गुप्ता एवं अन्य हिस्सेदार के नाम पर शामिलात हक भूमिस्वामी जमीन वाके मौजा धनोरा खसरा नं. 28/1, 28/2, 29/1, 31, 37, 84/2 शामिल खसरा 84/3, 84/4, 90/2 शामिल खसरा 91/1, 92/1, 94/1 जमीन स्थित है। आवेदक के पिता स्व. रोहिणी कुमार गुप्ता की दिनांक 17.06.2020 को मृत्यु हो चुकी है जिससे उनकी फौती दर्ज कर वारिसानों के नाम पर फौती नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 12.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती द्रौपति बाई ध.प. गुलाबचंद जैन साकिन भिलाई द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 951/29 रकबा 0.037 हे. जो उसके स्व. गुलाबचंद जैन के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16.09.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1274/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक भरत सोनवानी पिता स्व. चमनलाल सोनवानी निवासी ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 120/7 रकबा 1900 वर्ग. भूमि को विक्रेता नंदकिशोर शर्मा पिता रामगोपाल शर्मा निवासी ग्राम पोलसाय पारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 13.08.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 17.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट — पक्षकार का नाम: श्री विपिन कुमार ईश्वर — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202008100400901

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री विपिन कुमार ईश्वर आ. श्री विष्णुदेव ईश्वर निवासी नेहरुनगर पश्चिम भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न 19 तह. व जिला दुर्ग	6810/3	0.100 हें 10760 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट — पक्षकार का नाम: श्रीमती भारती देवांगन — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202008100400902

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती भारती देवांगन पति राजेन्द्र कुमार देवांगन निवासी शिवाजी नगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न 19 तह. व जिला दुर्ग	6810/23 6810/24	0.010 हें 0.010 हे 2040 वर्ग.	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट — पक्षकार का नाम: श्री सुरेश केजरीवाल — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202008100400900

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सुरेश केजरीवाल आ. स्व. बसंत लाल केजरीवाल निवासी नेहरुनगर पश्चिम भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न 19 तह. व जिला दुर्ग	6810/ 22	0.070 हें 6871.30 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-2/ 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री थानेश्वर आ. सोनूराम निवासी वार्ड 23 जंजगिरी तह. धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम/शहर जंजगिरी प.ह.न. 49 में स्थित भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नंबर 312/73 रकबा 0.012 हें/ 1370 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 के तहत प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, धमधा जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-2/ 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका कुमारी बाई साहू पिता/ पति अर्जुन सिंह साहू निवासी ग्राम चिखली पो. हिर्री तह. धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम/शहर हिर्री प.ह.न. 20 में स्थित भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नंबर 4/3 रकबा 0.04 हें/ 4356 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 के तहत प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, धमधा जिला, दुर्ग (छ.ग.)

■ न्यूज गैलरी

पिकप-बाईक में भिड़ंत, एक की मौत

रायपुर। तेज रफ्तार पिकप वाहन की चपेट में आने से बाईक के पीछे बैठी महिला की मौत हो गई व चालक घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट खमतराई थाने में दर्ज की गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलदहा थाना पथरिया मुंगेली निवासी राजेश कुमार वर्मा 30 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी 31 अगस्त को होण्डा मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 04 डीएल 3431 से जाते तेज रफ्तार पिकप वाहन क्रमांक सीजी 07सीए 3957 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुये बाईक को जोरदार ठोकर मार दिया। इस वजह से बाईक के पीछे बैठी झूल बाई 52 वर्ष पति भगवती प्रसाद की मौत हो गई व प्रार्थी घायल हो गया।

युवती से अश्लील हरकत, मामला दर्ज

रायपुर। घर में अकेली युवती के साथ हाथ-बांह पकड़ बेईज्जत करने की कोशिश कर अश्लील हरकत किया। घटना की रिपोर्ट उरला थाने में दर्ज की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीरगांव उरला निवासी पीड़िता 25 वर्ष ने आरोप लगाया है कि सोमवार को 8 बजे के आस-पास घर में अकेली देखकर विरेन्द्र मरकाम ने हाथ-बांह पकड़ बेईज्जत करने की नियत से अश्लील हरकत किया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 क के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

पैसा नही देने पर मां को पीटा, मामला दर्ज

रायपुर। पैसा नही देने पर बेटे ने मां को बेलन से मारकर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट खम्हारडीह थाने में दर्ज की गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोषी बाडा के पास खम्हारडीह रायपुर निवासी श्रीमती संतोषी टण्डन 45 वर्ष पति स्व.दानेश्वर टण्डन ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्राथिया का बेटा विनोद टण्डन ने पैसा मांगा नही देने पर गाली-गलोच कर जान से मारने की धमकी देकर बेलन से मारकर चोट पहुंचाया।

घरेलू विवाद में पत्नी की पिटाई,मामला दर्ज

रायपुर। घरेलू विवाद में पत्नी के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट विधानसभा थाने में दर्ज की गई है। राजधानी विहार सड्डू निवासी श्रीमती विजेता गुप्ता 32 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि रविार को घरेलू विवाद पर पति मनीष गुप्ता एवं श्रीमती सत्या गुप्ता ने प्रार्थिया के साथ गाली-गलोच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्का से मारकर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

राज्य में कोरोना संक्रमण 31 हजार के पार, जांच, संक्रमण पर उठे सवाल

जिम्मेदार गुमसुम, जांच रिपोर्ट को लेकर मरीज भी पशोपेश में

■ राजधानी रायपुर से लेकर रायगढ़ तक गंभीर गड़बड़ियां

■ जांच में चूक, गाइडलाइन की अनदेखी, माननीय संक्रमित

■ दूसरे मरीजों को भी टेस्ट के नाम पर तुरंत उपचार नहीं

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में अब मजदूर से लेकर अफसर तक और वीआईपी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। तेजी से संक्रमण के पैर पसारने का यह दौर तब नजर आ रहा है जब शासन ने कोरोना से निपटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया है। सरकारी इंतजामात के अलावा राज्य सरकार ने बड़े नीजि अस्पतालों में भी कोविड सेंटर बनाया है। लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन और फिर सशर्त छूट के तौर-तरीकों में सहीं मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण महज 15 दिन में ही दुगनी संख्या बताती है कि प्रदेश का स्वास्थ्य अमला, निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के कार्य में कसावट नहीं थी। संक्रमण की संख्या 31 हजार को भी पार कर गई है। अब स्थिति यह है कि नीजि अस्पताल में भी जगह नहीं मिल रही। कोरोना के चक्कर में अन्य व्याधियों से ग्रस्त मरीजों को भी तुरत चिकित्सा लाभ देने की बजाए उसका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की जांच आने के बाद ही हाथ लगाया जा रहा है।

नीजि अस्पतालों में खासकर कोरोना निगेटिव और पॉजेटिव रिपोर्ट के चक्कर में मरीजों को वक्त पर ईलाज तो नहीं मिल रहा बल्कि उन्हें भर्ती करवाने की भी लंबी प्रक्रिया है। चंद नीजि अस्पतालों में मुनाफाखोरी के चलते भी बिना कोरोना टेस्ट के मरीज भर्ती कर रहे है। इसके पीछे की वजह है कोरोना मरीजों के लिए पहले से ही ईलाज की गाइडलाइन तय है और नीजि अस्पतालों को उपचार खर्च भी निर्धारित कर दिया गया है। नतीजतन कमाई के लिए कहीं जांच रिपोर्ट निगेटिव और कहीं उसी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है।

खास-ओ-आम भी घेरे में आए

राजभावन, मुख्यमंत्री निवास, गृहमंत्री निवास, स्वास्थ्य मंत्री निवास, पूरा मंत्रालय, पुलिस थाना, आधा दर्जन विधायक, डॉक्टर, स्वास्थ्य अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, पीएचक्यू, सरकारी वाहन चालक

वीआईपी आइसोलेटड

आईएएस सोनमणि बोरा, आईपीएस पी सुंदरराज, आईपीएस ओपी पॉल, एडीजी आरके विज, एसपी प्रफुल्ल ठाकुर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के चार मंत्री ने एहितियातन खुद को आइसोलेट कर लिया है।

संक्रमण के घेरे में माननीय

विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा, बिंद्रानवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सबसे पहले डमरूधर पुजारी विधानसभा सत्र के अंतिम दिन कोरोना संक्रमित मिले थे। विधायक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई विधायकों ने अपना कोरोना टेस्ट कराया। संक्रमित मिलने के बाद सदन की कार्यवाही में शामिल सभी विधायकों के बीच हड़कंप मचा गया था। बता दें कि विधायक डमरूधर पुजारी के परिवार के 6 सदस्य संक्रमित पाए गए। विधायक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके परिवार के सदस्यों की जांच की गई थी जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे भी संक्रमित मिले।

निजी अस्पताल में लूट, जिम्मेदार पल्ला झाड़ रहे-भाजपा

इलाज के लिए निजी अस्पताल कोरोना संक्रमितों को लूट रहे हैं और प्रदेश सरकार ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। निजी स्कूलों की फीस को लेकर विधेयक लाने वाली सरकार निजी अस्पतालों को लेकर दोहरे मापदंड का प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के मामले में पूरी तरह लापरवाह और संवेदनहीन दिख रही है। इसी का नतीजा है कि पहले कम मरीज थे तो हल्ला मचाते रहे राज्य शासन की तारीफों के पुल बांधते रहे। अब जब बेकंट्रोल मरीज संख्या है तब केंद्र से पैसा और सुविधा का रोना रो रही है राज्य सरकार। भाजपा अध्यक्ष ने कहा सिर्फ कोरोना नहीं, हर मायनों में कांग्रेस की भूपेश सरकार फेल हुई है।

सहीं मायनों में मरीजों का आंकड़ा लापरवाही और अन्य कारणों से और बढ़ता। अगस्त अंतिम तक यह आंकड़ा केंद्र सरकार ने 64 हजार का बताया था। यह राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत का परिणाम है कि अब भी मरीज संख्या 31 हजार है। सावधानी, सुरक्षित दूरियां ही कोरोना को परास्त करेगी यह हर तरह से सूचित की जा रही है। जनता को भी ऐहतियात बरतना चाहिए. संक्रमण को मिलकर रोका जा सकता है न कि अकेले सरकारी प्रयास से। निजी अस्पतालों में ऐसी शिकायतें अगर संज्ञान में लाई जाएंगी तो कार्रवाई भी करेंगे।

टीएस.सिंहदेव, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

आबकारी में आंशिक स्थानांतरण, पहले के कुछ आदेश निरस्त

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। आबकारी विभाग ने जहां कुछ अफसरों के तबादला किए हैं वहीं पूर्व में किए गए तबादलों को निरस्त करते हुए उन्हें वर्तमान पद पर ही बने रहने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से निर्देशित स्थान पर पदभार ग्रहण कर विभाग को अवगत कराएं।

आबकारी अधिकारी प्रभाकर शर्मा को कार्यालय उपायुक्त आबकारी रायपुर से बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड सिलतरा गोदाम की जिम्मेदारी दी गयी है। उमेश अग्रवाल सहायक जिला आबकारी अधिकारी रायपुर को संभागीय उडऩदस्ता संभाग रायपुर भेजा गया है। अजय पाण्डे सहायक जिला आबकारी अधिकारी बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड लिंगियाडीह गोदाम बिलासपुर से सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय बिलासपुर पहुंच गए हैं। आबकारी उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह संभागीय उडऩदस्ता कार्यालय बिलासपुर से सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय भेजे गए हैं।

आदेश में कुछ उपनिरीक्षक और सहायक आबकारी अधिकारी के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है। आबकारी उप निरीक्षक समीर मिश्रा और आरक्षक मुकेश पाण्डेय का स्थानातरण शासन ने बिलासपुर से जीपीएम जिला किया था। नये आदेश में दोनों का स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है। अब दोनों बिलासपुर आबकारी विभाग में ही सेवा देंगे। साथ ही आरक्षक रामेश्वर पाण्डेय का स्थानांतरण बिलासपुर से बरौर चौकी जिला जीपीएम किया गया था उनके स्थानांतरण को भी निरस्त कर दिया गया है। विशेष सचिव के आदेश के बाद अब सहायक आबकारी अधिकारी रविन्द्र पाण्डेय का बिलासपुर से जीपीएम जिला स्थानांतरम को निरस्त कर दिया गया है। रविन्द्र अब बिलासपुर सहायक उपायुक्त कार्यालय में ही सेवा देंगे। जबकि विमल तिर्की सहायक जिला आबकारी अधिकारी कोरबा को नया जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही भेजा गया है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्यों का अधिकार है : सिंहदेव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर ट्वीट कर कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति हर राज्य का अधिकार है। इसका बोझ आरबीआई से कर्ज के नाम पर राज्यों पर डालकर केन्द्र सरकार ना सिर्फ अपने और राज्य सरकारों के बीच के करार को तोड़ा है, बल्कि सहकारी संघवाद पर भी भीषण प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में ऐसा करना और भी क्रूर है। ज्ञात हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण पत्र लिखकर केन्द्र सरकार से वर्ष 2020-21 के जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 2828 करोड़ रूपए की राशि छत्तीसगढ़ को शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी हेतु राज्य शासन द्वारा ऋण लिए जाने के विकल्प के संबंध में कहा है कि जीएसटी काउंसिल में शामिल राज्यों को केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2017 में यह आश्वासन दिया गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व में जो भी कमी होगी उसकी प्रतिपूर्ति वर्ष 2022 तक की जाएगी। ऐसी स्थिति में केन्द्र शासन स्वंय ऋण लेकर राज्यों को उपलब्ध कराए तो यह ज्यादा व्यवहारिक होगा।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जीएसटी की राशि देना केन्द्र शासन का उत्तरदायित्व है। जीएसटी में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों द्वारा इस हेतु ऋण लेने से जहां राज्यों पर ऋण भार आ जाएगा, वहीं जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान केन्द्र शासन द्वारा संभावित होने से उक्त ऋण राशि के भुगतान की अनिश्चितता बनी रहेगी।

प्रशासन में अंकित आनंद की बढ़ी जिम्मेदारी

रायपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अंकित आनंद अब आवास एवं पर्यावरण विभाग की भी बागडोर संभालेंगे। 2006 बैच के अफसर अंकित को हृश्व्रष्ठ के छ्वष्ठ व मार्कफेड एमडी के साथ-साथ आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) की भी जिम्मेदारी दी गयी है। अंकित आनंद के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी हैं, क्योंकि इस पद पर अंकित आनंद के अलावा अमन कुमार जैसे खाटी आईएएस रह चुके हैं। सेंट्रल डिप्युटेशन के लिए संगीता पी को रिलिव किये जाने के बाद राज्य सरकार ने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। बता दें कि आईएएस संगीता पी सेंट्रल डिपटेशन पर आधार के रिजनल सेंटर हैदराबाद जा रही है। इससे पहले कल हेल्थ सिकरेट्री निहारिका बारिक को भी राज्य सरकार ने दो साल के चाइल्ड केयर लीव के लिए रिलिव कर दिया था, उनकी जगह पर राज्य सरकार ने रेणु पिल्ले को एसीएस मेडिकल एजुकेशन और डीजी प्रशासनिक अकादमी के साथ हेल्थ विभाग के एसीएस का एडिश्नल चार्ज दिया था।

जोनल और मास्टर प्लान से दूरगामी योजनाओं पर फोकस

स्मार्ट हॉस्पिटल, नगरीय क्षेत्र में नये शामिल क्षेत्र में उन्नत सेवाओं के विस्तार का सुझाव

रायपुर। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत परामर्शदात्री समिति की बैठक में रायपुर के समग्र विकास के लिए जोनल व मास्टर प्लान तैयार कर दूरगामी कार्य योजनाओं के निर्धारण का सुझाव दिया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के परामर्शदात्री समिति के सदस्य व सांसद सुनील सोनी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में महापौर एजाज ढेबर, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, पुलिस अधीक्षक अजय यादव, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि. के एम.डी. सौरभ कुमार, एम्स रायपुर के डायरेक्टर नितिन एम. नागरकर, आई.आई.टी. के डायरेक्टर रजत मूना, आई.आई.आई.टी. के डायरेक्टर डॉ. प्रदीप कुमार सिन्हा, एन.आई.टी. के डायरेक्टर डॉ. रवानी, आई.आई.एम. से प्रो. स्मिथ गुप्ता, बंच ऑफफूल्स के फाउंडर सतीश भुवालका, रविशंकर विश्वविद्यालय से अशोक प्रधान शामिल हुए।

रेड क्रॉस भवन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में स्मार्ट सिटी के एम.डी. सौरभ कुमार ने प्रस्तावित, वर्तमान में संचालित तथा पूर्ण हुई कार्ययोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुनर्विकास, जीर्णोद्धार, ग्रीन फील्ड की योजनाएं स्मार्ट सिटी के तहत सम्मिलित कर क्षेत्र आधारित व संपूर्ण शहर आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए दक्ष कमांड सेंटर, यातायात प्रबंधन के साथ ही अपराध नियंत्रण व कोविड वॉर रूम के रूप में इसकी उपयोगिता से अवगत कराया। जवाहर बाजार जीर्णोद्धार, निर्माणाधीन ई.ए.सी. 6 मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग, तेलीबांधा थाने के कायाकल्प, शास्त्री मार्केट पुनर्विकास योजना सहित नगर निगम के आर.डी. तिवारी, बी.पी. पुजारी, शहीद स्मारक व माधव राव सप्रे स्कूल के जीर्णोद्धार की जानकारी दी। सदस्यों को अवगत कराया गया कि तालाब पुनर्विकास योजना के तहत बूढ़ा तालाब, खो-खो तालाब, व कारी तालाब का 45.80 करोड़ रूपये की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है, वहीं 1.69 करोड़ रूपये की लागत से अपना तालाब, करबला तालाब, खम्हारडीह तालाब को जैविक पद्धति से शुद्धिकरण की योजना बनाई गई है।

धर्म-कर्म 3000 से अधिक भगवान गणेश मूर्तियों का विसर्जन एवं विसर्जन हेतु श्रद्धालुओं द्वारा अपनी बारी की प्रतीक्षा

गणेश मूर्तियों का श्रद्धापूर्वक विसर्जन करने विसर्जन कुंड में दिखा उत्साह

■ सांसद सुनील सोनी विसर्जन स्थल पहुंचे एवं रायपुर नगर निगम की व्यवस्था को सराहा

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा दी गई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम करने राजधानीवासी श्रद्धालुजन स्वास्थ्य नियमो का पालन करते हुए शांति पूर्ण तरीके से पौराणिक शास्त्रों में प्रथम पूज्य देव माने जाने वाले भगवान गणेश की मूर्तियों का पूजन अर्चन कर नगर निगम द्वारा महादेव घाट खारून नदी के तट पर निर्मित विसर्जन स्थल पर पहुंचकर विसर्जन कर रहे है। दोपहर तक श्रद्धालु जन 3000 से अधिक भगवान गणेश मूर्तियों का विसर्जन कुंड में कर चुके है एवं बडी संख्या में श्रद्धालु जन सपरिवार मास्क लगाकर एवं सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए भगवान गणेश मूर्तियों के विसर्जन में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते दिखे। नगर निगम द्वारा समस्त आवष्यक प्रशासनिक प्रबंधन नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की कारगर रोकथाम करने विसर्जन स्थल में किये गये है एवं लगातार जोन 8 स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा विसर्जन स्थल क्षेत्र में जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु सघनता से सेनेटाईजर स्प्रे करवाया जा रहा है।

रायपुर लोकसभा सांसद व पूर्व महापौर सुनील सोनी महादेव घाट श्री गणेश विसर्जन स्थल पहुंचे एवं नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन करके नगर निगम की टीम को अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विसर्जन स्थल में देने हेतु सराहा। उन्होने नागरिको को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य हितकारी नियमो को मानकर मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का पालन करक भगवान गणेश मूर्तियों का विसर्जन करने का आव्हान किया।

सुबह से ही विसर्जन का सिलसिला जारी

अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर सार्वजनिक स्थानों एवं घरों में विराजे गणपति महाराज के विसर्जन का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। बावजूद इसके भक्तगणों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। सुबह से ही भक्त गणपति देव का विधिविधान से पूजन कर खारून तट की ओर रवाना हुए। समाचार लिखे जाने तक खारून नदी तट पर विसर्जन का सिलसिला जारी था। इस वर्ष जमकर बारिश होने के कारण खारून नदी लबालब है। वहीं खारून तट पर नाविकों द्वारा भक्तगणों को बीच नदी स्थल पर गणपति विसर्जन के लिए नाव में सवार कर ले जाया जा रहा है। भक्तगण गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ का जयघोष करते हुए विधिविधान से पूजन कर पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए मंगल कामना करते हुए गजानन महाराज से जल्द से जल्द कोरोना मुक्त जीवन की कामना के लिए वरदान मांग रहे हैं।

कांग्रेस के 22 जिलों में राजीव भवन निर्माण पर अड़ंगा

■ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

■ अगली सुनवाई तक उच्च न्यायालय ने रोका

नवप्रदेश संवाददाता

राहुल गांधी ने किया था ई-भूमिपूजन

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के पर 20 अगस्त को एक साथ प्रदेश के 22 जिलों में कांग्रेस भवन भूमिपूजन किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से ई भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी प्रमुख मोहन मरकाम सहित बड़ी संख्या कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में एक साथ राजीव भवन बनाने की कांग्रेस की कवायद पर हाईकोर्ट के एक फैसले ने अड़ंगा लगा दिया है। दरअसल मामला कुरूद का है, जहां की नगर पंचायत ने कांग्रेस पार्टी को 30 सालों के लिए निःशुल्क जमीन लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के विरोध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। भानुप्रताप चंद्राकर की ओर से अधिवक्ता शरद मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें नगर पंचायत कुरुद द्वारा 22 जून 2020 को पारित प्रस्ताव को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रस्ताव के तहत नगर पंचायत कुरुद ने पूर्व से ही सांस्कृतिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक प्रायोजन हेतु आवंटित शासकीय भूमि खसरा नंबर 548/2 को प्रमोद साहू, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस भवन के लिए तीस वर्षों की लीज पर बिना सरकार से अनुमति लिए एवं बिना किसी शुल्क के आवंटित कर दिया गया है। उक्त प्रस्ताव को जनहित याचिका में इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त आवंटन बिना सरकार की अनुमति के एवं छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटिज (भूमि अंतरण) नियम के प्रावधानों के घोर उल्लंघन में किया गया है। कांग्रेस भवन के लिए पूर्व में ही एक अन्य भूमि लीज पर कांग्रेस पार्टी को आवंटित है और नियमानुसार एक ही शहर में दो शासकीय भूमि किसी राजनीतिक दल को आवंटित नहीं की जा सकती। इसके अलावा नियमानुसार शासकीय भूमि आवंटन हेतु आवेदन केवल और केवल राजनीतिक दल का अध्यक्ष अथवा महामंत्री कर सकता है, परंतु इस प्रकरण में आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा किया गया है, जो कि विधि विरुद्ध है। वहीं शासकीय भूमि बिना उचित शुल्क या रेंट के गैर सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवंटित की गई है, जो कि अवैधानिक है।

संपादकीय

फेक न्यूज पर रोक जरूरी

केन्द्रिय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बयान दिया है कि पेड न्यूज से फेक न्यूज ज्यादा खतरनाक है, उनका कहना बिलकुल सही है वाकई फेक न्यूज बहुत खतरनाक है जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकती है और अफवाह फैलाकर दंगे भी भड़का सकती है। ऐसा पूर्व में हो चुका है। खासतौर पर सोशल मीडिया फेक न्यूज की फैक्ट्री बन गया है यही वजह है कि जहां भी तनाव की स्थिति निर्मित होती है सरकार सबसे पहले वहां सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाती है। इसी से समझा जा सकता है कि फेक न्यूज देश को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है किन्तु सवाल यह उठता है कि सरकार फेक न्यूज के खतरे को भांप कर भी इस पर रोक लगाने के लिए कतही प्रयास छोड़कर कड़े कदम उठाने से आखिर क्यों हिचकिचा रही है। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है? फेक न्यूज की वजह से एक लंबे अरसे तक कश्मीर जलता रहा है कमोबेश यही स्थिति देश के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की भी रही है जहां सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज फैलाकर कानून और व्यवस्था को खुली चुनौती देने का दुःसाहस किया गया है। यह सबकुछ आज भी हो रहा है इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि फेक न्यूज के जरिए अफवाह फैलाकर शांती और व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने वालों को कड़ी सजा दी जा सके। जब तक इस बारे में कड़े कानूनी प्रावधान नहीं किए जाएंगे तब तक फेक न्यूज फैक्टरियां बदस्तूर चलती रहेंगी। न सिर्फ अराजक तत्व फेक न्यूज फैलाते है बल्कि राजनीतिक दल भी अपने निहित स्वार्थो की सिद्ध के लिए अकसर फेक न्यूज का सहारा लेते है। फेसबुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम आदि माध्यमों से भ्रामक जानकारियां और झूठे आरोप लगाकर सोशल मीडिया के मंच का दुरूपयोग करने से बाज नहीं आते। अनेक राजनीतिक दलों ने तो अपने अपने आईटी सेल बना रखे है जिनके द्वारा फेक न्यूज फैलाई जाती है। इस तरह की गतिविधियों पर भी विराम लगना चाहिए। सोशल मीडिया अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक बेहतर माध्यम है लेकिन इसका दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

विचार-

ये टीवी चैनल हैं या 'मूरख-बक्से' ?

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

जब मैं अपने पीएच.डी. शोधकार्य के लिए कोलंबिया युनिवर्सिटी गया तो पहली बार न्यूयार्क में मैंने टीवी देखा। मैंने मेरे पास बैठी अमेरिकी महिला से पूछा कि यह क्या है ? तो वे बोलीं, यह 'इडियट बॉक्स' है याने 'मूरख बक्सा' ! अर्थात यह मूर्खों का, मूर्खों के लिए, मूर्खों के द्वारा चलाए जानेवाला बक्सा है। उनकी यह टिप्पणी सुनकर मैं हतप्रभ रह गया लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। आज भी मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। लेकिन भारतीय टीवी चैनलों का आजकल जो हाल है, उसे देखकर मुझे मदाम क्लेयर की वह सख्त टिप्पणी याद आ रही है। फिल्म कलाकार सुशांत राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, इस मुद्दे को लेकर हमारे टीवी चैनल लगभग पगला गए हैं। उन्होंने इस दुर्घटना को ऐसा रुप दे दिया है कि जैसे महात्मा गांधी की हत्या से भी यह अधिक गंभीर घटना है। पहले तो सिने-जगत के नामी-गिरामी कलाकारों और फिल्म-निर्माताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई और अब सुशांत की महिला-मित्रों को तंग किया जा रहा है। सारी दुनिया को, चाहे वह गलत ही हो, यह पता चल रहा है कि सिने-जगत में कितनी नशाखोरी, कितना व्यभिचार, कितना दुराचार और कितनी लूट-पाट होती है। ऐसे लोगों पर दिन-रात ढोल पीट-पीटकर ये चैनल अपने आप को मूरख-बक्सा नहीं, महामूरख-बक्सा सिद्ध कर रहे हैं। वे अपनी इज्जत गिरा रहे हैं। वे मजाक का विषय बन गए हैं। एक-दूसरे के विरुद्ध उन्होंने महाभारत का युद्ध छेड़ रखा है। उनकी इस सुशांत-लीला के कारण देश के राजनीतिक दल भी अशांत हो रहे हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए सिने-जगत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। उनका स्वार्थ क्या है ? उन्हें सुशांत राजपूत से कुछ लेना-देना नहीं है। उनका स्वार्थ है– अपनी दर्शक-संख्या (टीआरपी) बढ़ाना लेकिन अब दर्शक भी ऊबने लगे हैं। इन चैनलों को कोरोना से त्रस्त करोड़ों भूखे और बेरोजगार लोगों, पाताल को सिधारती अर्थ-व्यवस्था, कश्मीर और नगालैंड की समस्या और भारत-चीन तनाव की कोई परवाह दिखाई नहीं पड़ती। यों भी पिछले कुछ वर्षों से लगभग सभी चैनल या तो अखाड़े बन गए हैं या नौटंकी के मंच ! पार्टी-प्रवक्ताओं और सेवा-निवृत्त फौजियों को अपने इन दंगलों में झोंक दिया जाता है। किसी भी मुद्दे पर हमारे चैनलों पर कोई गंभीर बहस या प्रामाणिक बौद्धिक विचार-विमर्श शायद ही कभी दिखाई पड़ता है। इन चैनलों के मालिकों को सावधान होने की जरुरत है, क्योंकि वे लोकतंत्र के सबसे मजबूत चौथे खम्भे हैं।

टेक ज्ञान- Xiaomi ने मचाई धूम

Xiaomi ने अपनी पॉप्युलर Redmi 8 सीरीज की 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स सेल की हैं। कंपनी के मुताबिक रेडमी 8 सीरीज को यह आंकड़ा छूने में 12 महीने से कम वक्त लगा। इस सीरीज के तहत कंपनी Redmi 8, Redmi 8A, और Redmi 8A Dual स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है।

बॉलीवुड में भी जरूरी है स्वच्छता अभियान

राजेश माहेश्वरी

बॉलीवुड-ड्रग माफिया का रिश्ता हैं, वे एक-दूसरे को जानते हैं सभी के एक ही डीलर और पैडलर्स हैं। कलाकार ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये लोग भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, उनमें से कई बचपन से ड्रग्स करते हैं और फिर अभिनेता या निर्देशक बन जाते हैं। इन अभिनेताओं में से मैंने एक को डेट किया है, वे एक जगह जाते हैं, ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं और फिर एक रोल और फिर एक गोली, फिर वे सूंघते हैं, यह सब एक गुप्त संकेत में होता है।' मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत बॉलीवुड सेलेब्रिटी किसी न किसी तरह से ड्रग्स का सेवन करते हैं। कुछ लोगों के लिए एमडी नामक ड्रग काफी प्रचलित है, तो कुछ लोग वीड यानि चरस का सेवन पसंद करते हैं, लेकिन चरस, टीवी के अभिनेताओं द्वारा अधिक मात्रा में ली जाती है। सूत्रों के अनुसार, ये कीमती ड्रग्स मुंबई में गुजरात और पंजाब से जुड़ी सड़कों के रास्ते आती है, और कई बार तो सीधे विदेश से भी आपूर्ति होती है।

सुशांत सिंह राजपूत केस की गुत्थी उलझती जा रही है। हर दिन इस केस में एक नया ही मोड़ आ रहा है, नेपोटिज्म से शुरू हुआ ये मुद्दा अब ड्रग्स तक पहुंच चुका है। सीबीआई के शुरूआती जांच में जो कुछ अभी तक सामने आया है, उससे एक बात साफ हो गयी है कि बॉलीवुड में ड्रग रैकेट बड़े स्तर पर सक्रिय है। असल में जैसे-जैसे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदेहास्पद मृत्यु की जांच पड़ताल को धार दी जा रही है, वैसे-वैसे बॉलीवुड के एलीट वर्ग के काली करतूतों की पोल भी धीरे-धीरे जगजाहिर हो रही हैं। जहां एक ओर सीबीआई बॉलीवुड और दुबई माफिया के बीच के गठजोड़ को सिद्ध करने के लिए अहम साक्ष्य ढूंढ रहा है, तो वहीं नारकोटिक्स ब्यूरो ने बॉलीवुड के ड्रग माफिया से सम्बन्धों की पोल खोलने का जिम्मा ले लिया है। सुशांत केस में नार्कोटिक्स एजेंसी अब ड्रग्स मामले को गंभीरता से ले रही है।

कंगना रनौत लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर लगातार हमलावर है। और उन्होने ही पहली बार 'बॉलीवुड माफिया' जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। कंगना रनौत ने अपने ताजा साक्षात्कार में दावा किया कि उन्होंने बॉलीवुड का वह काला चेहरा भी देखा है, जहां कई कलाकार ड्रग्स लेते हैं। कंगना का बयान रिया चक्रवर्ती के ड्रग चैट के बाद आया है, जो एक समाचार चैनल पर लीक हुए थे। ड्रग-एंगल के सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज की है। कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स के एंगल सामने आया था जिसके बाद कंगना रनौत इस मामले में खुलकर सामने आईं थीं।

इतना ही नहीं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 टॉप बॉलीवुड और राजनेताओं के नाम भी एनसीबी को दिए गए हैं। कंगना ने कहा कि, 'कई सरकारों ने इस बॉलीवुड-ड्रग माफिया को आगे बढ़ने में मदद की है। बॉलीवुड-ड्रग माफिया का रिश्ता हैं, वे एक-दूसरे को जानते हैं सभी के एक ही डीलर और पैडलर्स हैं। कलाकार ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये लोग भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, उनमें से कई बचपन से ड्रग्स करते हैं और फिर अभिनेता या निर्देशक बन जाते हैं। इन अभिनेताओं में से मैंने एक को डेट किया है, वे एक जगह जाते हैं, ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं और फिर एक रोल और फिर एक गोली, फिर वे सूंघते हैं, यह सब एक गुप्त संकेत में होता है।'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत बॉलीवुड सेलेब्रिटी किसी न किसी तरह से ड्रग्स का सेवन करते हैं। कुछ लोगों के लिए एमडी नामक ड्रग काफी प्रचलित है, तो कुछ लोग वीड यानि चरस का सेवन पसंद करते हैं, लेकिन चरस, टीवी के अभिनेताओं द्वारा अधिक मात्रा में ली जाती है। सूत्रों के अनुसार, ÷ये कीमती ड्रग्स मुंबई में गुजरात और पंजाब से जुड़ी सड़कों के रास्ते आती है, और कई बार तो सीधे विदेश से भी आपूर्ति होती है। जब स्टॉक शहर आता है, तो वह छोटे-छोटे दलालों को थोक के भाव दिया जाता है। फिल्म उद्योग से जुड़े कई लोग

सुशांत सिंह केस से जो खबरें मीडिया के मार्फत सामने आ रही हैं उनके मुताबिक एनसीबी अब इस पूरे मामले को ड्रग्स माफिया से भी जोड़ कर देख रही है। एजेंसी हाल में मुंबई और पुणे से पकड़े गए बड़े ड्रग्स डीलर्स से भी पूछताछ कर सकती है. ये सभी डीलर्स जेल में बंद हैं। एनसीबी पूरे महाराष्ट्र में पिछले तीन सालों में हुए सभी रेव पार्टियों के डिटेल्स खंगालेगी। कंगना रनौत ने अपने ताजा साक्षात्कार में जो दावे किये हैं उसका बॉलीवुड से जुड़ी किसी एक भी व्यक्ति ने इन दावों का खंडन नहीं किया है। जिस तरह से बॉलीवुड से ये बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे स्पष्ट है कि बॉलीवुड को एक स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियान की बेहद सख्त जरूरत है, और अब समय आ चुका है कि बॉलीवुड से गंदगी को पूरी तरह साफ किया जाये। ड्रग माफियाओं और बॉलीवुड के नापाक गठजोड़ और रिशतों का खुलासा होना बहुत जरूरी है। वास्तव में जिन कलाकारों को देश के लाखों युवा अपना आदर्श मानते हैं उनका इस प्रकार का आचरण पूरी युवा पीढ़ी को नशे के गहरे अंधकार में धकेल सकता है।

बड़ी मात्रा में ड्रग्स को खरीदते हैं।÷

बीते सप्ताह एनसीबी ने दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया था और उनसे 59 ग्राम गांजा बरामद किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक एनसीबी अफसर ने दावा किया था कि पकड़ा गया दलाल बॉलीवुड से भी नाता रखता है। इसी के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति गौरव आर्या से पूछताछ करने का निर्णय किया है, और साथ ही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से उनके ड्रग्स के संबंध में बातचीत की तह तक जाने का भी निर्णय लिया है, कहा जा रहा है कि गौरव आर्या के तार ड्रग माफिया से भी जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2017 में मुंबई पुलिस ने बकुल चंदेरिया को 106 ग्राम कोकीन और 4 लाख रुपये के मूल्य के एलएसडी गोलियों के साथ पकड़ा था, और पूछताछ में बकुल ने ये खुलासा किया है कि बॉलीवुड में कई अहम सितारों के साथ उनकी मित्रता है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में ड्रग्स के धंधे की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका आकार चैंकाने वाली स्थिति में पहुंच चुका है। इसकी वजह यह नहीं है कि ड्रग लार्ड के पास पैसे की शक्ति है और उनके तार अंतराष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए हैं, बल्कि वजह यह है कि पुलिस और कई बार सत्तारूढ़ नेता रैकेट चलाने में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें पैसे की रेल-पेल है। जनवरी 2016 एक केस में फैसला सुनाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टि दीपक ठाकुर ने कहा, 'हम आशा करते हैं कि ड्रग का धंधा रोकने तथा पकड़े गए पदार्थों की चोरी रोकने और बाजार में उनके दोबारा आने की वजह तस्करों और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच गठजोड़ नहीं है। हम खुद को आश्वस्त कर रहे हैं कि इसका संबंध सिर्फ काहिली और उदासीनता से है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि इस लगातार काहिली के कारण सिस्टम भ्रष्ट नहीं हो गया है और ड्रग की बुराई के बारे में सभी उम्मीदें ध्वस्त नहीं हुई हैं, जो हमारे समाज को खा रही हैं।'

एक जमाने में कभी हिंदी फिल्मों की हीरोइन रही ममता कुलकर्णी अपने पति के साथ मिलकर ड्रग्स का बिजनेस कर रही है। इस बात का खुलासा वर्ष 2016 में महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने किया था। पुलिस का दावा है कि इस बात के उसके पास पुख्ता प्रमाण हैं। मुंबई पुलिस ने ममता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विदेश में रह रही ममता ने तब एक साक्षात्कार में अपने ऊपर लगे ड्रग्स रैकेट के आरोपों से इनकार किया था। जबकि उस वक्त इस मामले को लेकर ठाणे पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि 12 अप्रैल 2016 को 2 हजार करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई थी। अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ममता कुलकर्णी हमारे केस में आरोपी है। कोर्ट के सामने दो आरोपियों ने बयान दिया है कि केन्या में हुई मीटिंग में ममता भी शामिल थी। इन घटनाओं से साफ होता है कि बॉलीवुड के कई कलाकार इस जहरीले धंधे में शामिल हैं। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि बॉलीवुड के तमाम फिल्मों में ड्रग्स व दूसरे काले धंधे करने वालों का कालाधन लगा हुआ है।

पहली बार पांच रत्नों को मिला 'खेल रत्न'

योगेश कुमार गोयल

खेल रत्न पुरस्कार की शुरूआत 1991-92 में की गई थी और तब शतरंज के ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद को पहली बार यह सम्मान प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ था। 2001 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा महज 18 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। अभी तक कुल 43 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। 12 सदस्यीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ओलम्पिक, पैरालम्पिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेलों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों मंग किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद ही अपनी सिफारिशें खेल एवं युवा मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजती है।

एक जमाना था, जब हम बचपन में सुनते थे, 'खेलोगे कूदोगे, बनोगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब।' लेकिन आज खेलों की दुनिया कैरियर को लेकर भी पूरी तरह बदल चुकी है। खेल अब महज खेल नहीं रह गए हैं बल्कि कैरियर का बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहे हैं। विभिन्न खेल स्पर्द्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए अब पैसे और मान-सम्मान की कोई कमी नहीं है। खेल जगत का इतिहास ऐसे अनेक खिलाड़ियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने बेहद गरीबी और संघर्षों के दौर से गुजरकर अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने शानदार खेल प्रदर्शन से पूरे देश का नाम दुनियाभर में रोशन किया। ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों को हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष कुल सात केटेगरी के 74 खिलाड़ियों और कोचों को कोरोना के चलते पहली बार हुए वर्चुअल समारोह में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल सम्मान 'राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' पहली बार कुल पांच खिलाड़ियों क्रिकेटर रोहित शर्मा, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, पहलवान विनेश फोगाट तथा पैरालम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थांगावेलू को प्रदान किया गया। इससे पहले 2016 में एक साथ चार खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला था। तब रियो ओलम्पिक में रजत जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, महिला रेसलिंग में कांस्य जीतने वाली साक्षी मलिक के अलावा जिमनास्ट दीपा कर्माकर तथा शूटर जीतू को यह सम्मान मिला था। जैसा कि इस सम्मान के नाम से ही जाहिर है कि यह पुरस्कार खेल जगत के रत्नों अर्थात् विभिन्न खेलों में असाधारण प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और साढ़े सात लाख रुपये प्रदान किए जाते थे लेकिन पुरस्कार राशि बढ़ाकर इस बार से 25 लाख रुपये कर दी गई है।

इस वर्ष जिन पांच खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कड़ा

संघर्ष करने के बाद इस मुकाम को छुआ है। तमिलनाडु के सालेम जिले में एक बहुत गरीब परिवार में जन्मे मरियप्पन के पिता बहुत सालों पहले ही परिवार छोड़कर चले गए थे और मां सरोजा ने सब्जियां बेचकर परिवार का भरण-पोषण किया। जब मरियप्पन पांच साल के थे, तब एक बस उनके पैर के ऊपर से गुजर जाने के कारण उनका पैर कट गया था। उस भयानक सड़क दुर्घटना के बाद 17 साल की लंबी अदालती लड़ाई के पश्चात् उनके परिवार को केवल दो लाख रुपये मुआवजा मिला, जिसमें से एक लाख रुपये वकीलों की फीस में चले गए और एक लाख मरियप्पन के भविष्य के लिए बैंक खाते में जमा कर दिए गए। उनके इलाज के लिए लिया गया तीन लाख रुपये का ऋण भी उनके द्वारा पैरालम्पिक में गोल्ड मैडल जीते जाने तक नहीं चुकाया जा सका था। उन्होंने 2016 के रियो पैरालम्पिक में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक हासिल कर देश को गौरवान्वित किया। पैरालम्पिक में भारत के लिए पदक जीतने पर केन्द्र सरकार ने उन्हें 75 लाख रुपये और तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने दो करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की थी।

टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में 30 अप्रैल 1987 को जन्मे रोहित को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें क्रिकेट की कोचिंग दिलाई जा सके। उनके चाचा और कुछ मित्रों द्वारा छोटी-छोटी राशि एकत्र करने के बाद उनका दाखिला एक छोटी सी अकादमी में करवाया गया। वहां उन्होंने अपनी प्रतिभा से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और एक क्रिकेट शिविर में कोच दिनेश लाड का ध्यान उन पर गया। उसके बाद उन्होंने अगले चार साल तक रोहित के लिए स्कॉलरशिप का प्रबंध करा दिया और फिर रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी स्पिन गेंदबाजी से क्रिकेट कैरियर की शुरूआत करने के बाद वे कब मध्यम क्रम बल्लेबाजी से टीम इंडिया के एक सफल और भरोसेमंद ओपनर और टेस्ट मैचों के सलामी बल्लेबाज बन गए, पता ही नहीं चला। आज रोहित के नाम रिकॉर्डों का ऐसा अंबार लगा है कि उन्हें रिकॉर्डों का बेताज बादशाह भी कहा जाता है।

महिला हॉकी टीम की कप्तान 25 वर्षीया रानी रामपाल का जीवन भी अभावों के दौर से गुजरा। उनके पिता रामपाल घोड़ा गाड़ी चलाकर और ईंटें बेचकर परिवार का

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

अक्सर स्त्री और पुरुष

अक्सर स्त्री और पुरुष को महज़ एक खूबसूरत शरीर समझकर नकार दिया है कहा जाता है कि वो महज़ शादी और संतान पैदा करने के लिए हैं.. मगर उनकी भावनात्मक उथल-पुथल से समाज आज भी अपरिचित है क्योंकि शारीरिक मोह कुछ समय बाद खत्म हो जाता है रह जाता है तो बस मानसिक रूप से जुड़ाव।

– अनुभूति गुप्ता

शिक्षा दीक्षा दे रहे

शिक्षा दीक्षा दे रहे,बनकर कर्मी आज । अनपढ़ नेता बन करे,भीड़-तंत्र पर नाज ।। भीड़ -तंत्र पर नाज,बने वो भोला-भाला । रहते सब हैरान,वही तो शाला खोला ।। वोट-बैंक का भार, तभी वो देता भिक्षा । लेता सबसे काम,कहे ये कैसी शिक्षा ।।

– नवीन कुमार तिवारी

खास पाती

बर्फ सी जम गई हूं मैं

बर्फ सी जम गई हूं मैं सर्द रातों के अंधेरों में मोम बन पिघल रही हूं मैं बाती के उजालों में हमें मालूम है उनको मुहब्बत कुछ कम नही हमसे घिरी हूं खुद ही खुद अपने पगले हुऐ सवालों में सताता सीत का आलम सत्ता के बबालों में लगी है भीड़ जनता की सुलगते से अलावो में कहीं मजबूर हैं कोई तो कोई मर रहा गम से वो झूंठे कर रहे वादे कुर्सी के हवालों में ठिठुरता सा कहीं कुक्कुर कहीं हीटर सी गर्मी है किसी को अब पड़ी किसकी महलों की दीवालों में यही अब सोच कर के मैं कहीं गुम हूं रजाई में नही क्यूं अब प्रजा दिखती राजा को ख्यालों में।– रेनूमनोज श्रीवास्तव

सुर्ख़ रुख़सार हुआ जाता है देखो

सुर्ख़ रुख़सार हुआ जाता है देखो तो सही, खिल के कचनार हुआ जाता है देखो तो सही!! प्यार के नाम से जो भागता था दूर तलक, अब उसे प्यार हुआ जाता है देखो तो सही!! दौरे हाज़िर से मेरी बनती नहीं बिल्कुल और, दिल ये बेदार हुआ जाता है देखो तो सही!! मेरी तन्हाई ने मुझको यूँ गिरफ्तार किया, जीना दुश्वार हुआ जाता है देखो तो सही!! एक तू जो नहीं तो खोई नियामत सारी, दिल ये बेज़ार हुआ जाता है देखो तो सही!! कैसे गुजरेंगे ÷कमल÷ उनके बिना दिन तेरे, की तुझे प्यार हुआ जाता है देखो तो सही!- रूबी झा 'कमल'

पितृ सत्ता स्त्री विमर्श ये सब शब्दों

पितृ सत्ता स्त्री विमर्श ये सब शब्दों का अंतर है बस ! जब कोई पुरूष स्त्री की सहायता करता है तब वह सपोर्टिंग होता है, लेकिन जब कोई स्त्री पुरूष की सहायता करती है तो वह अपना कर्तव्य निभा रही होती है! आपने अक्सर सुना होगा कि फलां मीं का पति बड़ा सपोर्टिंग है, कभी सुना है कि फलां की पत्नी बड सपोर्टिंग है। – कुमुद रंजन झा

इश्क़ को मज़ा मिले रूस्वाई में

इश्क़ को मज़ा मिले रूस्वाई में, फिर हम लौट आये तन्हाई में, नहीं नसीब में, जानता है दिल, क्यों है कसक उठती सौदाई में, बहलाये से भी न बहले दिल, कटी जिंदगी यूँही उकताई में, बिगड़ी है तो ये सुधरने से रही, रखा क्या तबियत बहलाई में, सीखे नहीं हम सबक़ यकबार, मश्गूल हुई जिंदगी दोहराई में, ज़ुबां पे छाले, रूह में है आग, तेज़ाब सी तल्ख़ी सच्चाई में, 'दक्ष' सोचे समझे होगा क्या, बुराई है मुमकिन अच्छाई में। – विकास शर्मा 'दक्ष'

किसी ने कहा: जब कण कण

किसी ने कहा: जब कण कण मे भगवान है तो तुम मंदिर क्यूँ जाते हो । बहुत सुंदर जवाब: हवा तो धुप में भी चलती है पर आनंद छाँव मे बैठ कर मिलता है वैसे ही भगवान सब तरफ है पर आनंद मंदिर मे ही आता है।

– धीरज सिंह धीरू

एक नींद हे जो लोगो को रात भर

एक नींद हे जो लोगो को रात भर नहीं आती! ओर एक जमीर हे जो हर वक्त सोता रेहता हे. फुटपाथ पर सोने वाले, हैरान हैं आने-जाने वालों से...! कमबख्त,जिनके पास घर हैं,,, वो घर क्यूँ नहीं जाते...!! चंद सिक्कों में बिकता है यहाँ इंसान का ज़मीर, कौन कहता है मेरे मुल्क में महंगाई बहुत है।

– सूर्य प्रकाश मिश्रा

तेरी रहमत का असर, दुआओं मे

तेरी रहमत का असर, दुआओं मे पाया है आई जब भी मुसीबत, तूने ही साथ निभाया है, कैसे कह दूँ ÷मालिक''के तेरा और मेरा कोई रिश्ता नही गिरा मेरा जब भी अश्क,इसमे तेरा ही चेहरा नज़र आया है !!

-डॉ. दुलारी चंद्राकर

QUIZ TIME

Ramaquiz

1) एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट छ.ग. में कहाँ स्थित है?

2) एस्सार का स्टील प्लांट बस्तर जिले में कहाँ स्थित है? (नगरनार / हीरानार)

3) श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है?

4) भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बाल्को) के अन्तर्गत एल्युमिना से एल्युमिनियम निकालने का संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है?

5) छत्तीसगढ़ के इतिहास की प्रमुख घटना कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार का नाम बताइए?

उत्तरमाला- 1) जिंदल स्टील प्लांट (रायगढ़) (2) हीरानार (3) कोरबा (4) रूस (5) बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1573- मुगल शासक अकबर ने युद्ध में गुजरात को जीता। 1752- ब्रिटेन और ब्रिटिश उपनिवेशों में अंतिम जुलियन कैलेंडर दिवस मनाया। 1789- अमेरिका में राजस्व विभाग की स्थापना। 1806- भूस्खलन के कारण स्विटजरलैंड का एक पूरा शहर तबाह हो गया। 1833- ओहियो में ओबरलीन कॉलेज की स्थापना । 1843- 'द इकोनॉमिस्ट' अखबार पहली बार लंदन में प्रकाशित हुआ। 1898- पहली बार मशीनगन का लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। 1945- कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता हो ची मिन्ह ने वियतनाम को स्वतंत्र घोषित किया। 1945- जापान द्वारा हार स्वीकार करने के बाद दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त। 1946- पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अविभाजित भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

सुपर विलेन का किरदार निभायेंगे अजय देवगन

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड के सिंघम स्टार अजय देवगन सिल्वर स्क्रीन पर सुपर विलेन का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं।

अजय देवगन ने बतौर अभिनेता कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। चर्चा है कि अब वह एक फिल्म में सुपर विलेन का किरदार निभाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से अजय देवगन की बात चल रही है जो एक बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहा है। यह फिल्म सुपरहीरो पर आधारित होगी। कहा जा रहा है कि इस सुपरहीरो के सामने विलेन भी दमदार है और इसके लिए अजय देवगन को यह फिल्म ऑफर की हुई है। अजय ने यह फिल्म साइन कर ली है। अजय का किरदार हीरो से भी बड़ा होगा इसलिए यह फिल्म अजय ने स्वीकारी है।फिल्म की घोषणा कुछ दिनों में होने वाली है।

रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने पर हिना खान ट्रोल

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की रिया से पूछताछ जारी है। रिया पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को लेकर काफी निगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं। इसी बीच हिना खान ने रिया के खिलाफमीडिया ट्रायल पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जांच से पहले निष्कर्ष पर न पहुंचे। हिना के इस बयान के बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा जिसपर एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को जवाब दिया है। हिना ने ट्वीट किया, 'मैंने पूरी बात क्या कही थी वह आप सभी इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। सिर्फकुछ लाइन्स को पढ़कर आप यह नहीं बता सकते कि मैंने क्या कहा है। मुझे पता है मैं क्या कह रही हूं और हमेशा अपनी बात रखती हूं क्योंकि मैं कानून पर विश्वास करती हूं। मैं बिना जजमेंट के किसी को जज नहीं कर सकती।' हिना ने कहा था, 'सीबीआई को इस मामले की जांच करने दें और लोग खुद जांच कर निष्कर्ष पर न पहुंचें। इस तरह के आरोप लगाकर आप रिया का करियर बर्बाद कर सकते हैं।

कसौटी जिंदगी की 2 के फैन्स के लिए बुरी खबर

नई दिल्ली। कसौटी जिंदगी की 2 के फैन्स के लिए बुरी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने शो को बंद करने का फैसला लिया है। नवंबर 2020 में शो को बंद कर दिया जाएगा। स्पॉटबॉय की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स शो को मिल रहे नंबर्स से खुश नहीं हैं। इसके अलावा लीड एक्टर पार्थ समथान भी शो को छोड़ रहे हैं जिस वजह से मेकर्स को कसौटी जिंदगी की को बंद करने का फैसला लेना पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले मेकर्स पार्थ को शो छोड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं मान रहे।

जोकोविच और ओसाका यूएस ओपन में खिताब के दावेदारः भूपति

मुंबई (वार्ता)। पूर्व भारतीय टेनिस स्टार महेश भूपति विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच और जापान की नाओमी ओसाका को इस बार यूएस ओपन खिताब का दावेदार मानते हैं। वर्ष का आखिरी ग्रैंड स्लेम यूएस ओपन न्यूयार्क में सोमवार से शुरू हो चुका है।

भूपति ने ऑनलाइन लाइव कार्यक्रम 'इन द स्पोर्टलाइट' में टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी के साथ बातचीत के दौरान यूस ओपन के खिताब के लिए अपने दोनों पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम बताये हैं। 12 बार के युगल ग्रैंड स्लेम चैंपियन भूपति ने

खिलाड़ियों के लिए पेशेवर स्तर पर सफल होने के लिए मानसिक प्रशिक्षण के महत्व पर भी जोर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण सात महीने के लंबे इंतजार के बाद यूएस ओपन सोमवार को शुरू हुआ। रोजर फेडरर और राफेल नडाल जैसे टेनिस के शीर्ष खिलाड़ी इस वर्ष के टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं जिससे जोकोविच की दावेदारी और मजबूत हो गयी है।

वर्ष 2002 के यूएस ओपन के पुरुष युगल वर्ग के चैंपियन भूपति का मानना है कि इस वर्ष पुरुष एकल वर्ग में जोकोविच यूएस ओपन में अपना चौथा खिताब जीत सकते हैं। भूपति का मानना है कि महिला एकल वर्ग में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका खिताब अपने नाम कर सकती हैं।

चेन्नई सुपरकिंस के सभी टेस्ट नेगेटिव

■ 4 सितम्बर से शुरू कर सकते हैं ट्रेनिंग

दुबई (वार्ता)। आईपीएल टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के सभी सदस्यों के दो अतिरिक्त कोरोना टेस्टों में से सोमवार को किये पहले टेस्ट के नतीजे नेगेटिव आये हैं और टीम चार सितम्बर से अपना अभ्यास शुरू कर सकती है। आईपीएल का 13 वां संस्करण यूएई में 19 सितम्बर से शुरू होना है। चेन्नई टीम के दो खिलाड़ियों सहित 13 सदस्य हाल में पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। टीम का शुक्रवार से शुरू होने वाला अभ्यास शिविर एक सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आईपीएल की अन्य सभी टीमें अपना अभ्यास शुरू कर चुकी हैं और केवल चेन्नई का अभ्यास शुरू नहीं हुआ है। वैसे टूर्नामेंट में 18 दिन शेष रहते इसक कार्यक्रम भी अभी घोषित नहीं हुआ है। सोमवार को किये गए टीम के सभी सदस्यों के दो अतिरिक्त टेस्टों में पहले टेस्ट का मंगलवार सुबह नतीजा नेगेटिव आया है। दूसरा टेस्ट तीन सितम्बर को होगा। जो खिलाड़ी और सदस्य पहले पॉजिटिव पाए गए थे वे ताजा टेस्टों का हिस्सा नहीं थे।

बीकेटी टायर्स जुड़ा टी-20 लीग में 6 टीमों के साथ

नई दिल्ली। भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह और ऑफ-हाइवे टायर मार्केट में वैश्विक कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (बीकेटी टायर्स) ने घोषणा की है कि वह आगामी टी-20लीग के सीज़न 2020 में 6 टीमों- मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपरकिंग्स,दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स इलेवन पंजाब,कोलकाता नाइट राइडर्स औरराजस्थान रॉयल्सको प्रायोजित करेगी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते के आधार पर केएफसी बिग बैश लीग (बीबीएल) को समर्थन देते हुए बीकेटी पहले से ही इस खेल को बढ़ावा देती रही है। चाहे वो क्रिकेट, फुटबॉल या मॉन्स्टर जैम में ज़बरदस्त स्टंट के बारे में हो ङ्क बीकेटी को

खेल से प्यार है क्योंकि यह इसके कॉर्पोरेट सिद्धांत को पूरी तरह दर्शाता है : प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प, लक्ष्य को हासिल करने की खुशी, हमेशा ऊंची और बड़ी महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य बनाकर सभी प्रयासों के लिए जब सम्मान मिल रहा हो तब मिलने वाला समाधान और संतुष्टि की भावना। विशेष तौर पर, बीकेटी भारतीय खेलों को समर्थन देता रहा है क्योंकि वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। उदाहरण के लिए कंपनी ने प्रो कबड्डी लीग के 2019 के सीज़न में पटना पाइरेट्स, पुणेरी पलटन, तमिल थलाइवाज़, यू मूँबा, गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स, यूपी योद्धा, दबंग दिल्ली और हरियाणा स्टीलर्स कबड्डी- 12 में से इन 8 टीमों के साथ भागीदारी की थी। बीकेटी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजीव पोद्दार ने कहा, ÷क्रिकेट भारत में बेहद लोकप्रिय खेल है। हर कोई इस खेल से प्यार करता है और जब बात खेल की हो तो बीकेटी में हमें कोई रोक नहीं सकता। हम एक ऐसे इवेंट के साथ जुड़कर बेहद खुश और रोमांचित हैं जिसे हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर फॉलो किया जाता है। हम दृढ़निश्चय, ईमानदारी,ज़िद, आत्म-विश्वास और इसके साथ ही स्वयं की सीमाओं के बारे में जागरुकता जैसे मूल्यों को साझा करने में भरोसा रखते हैं। दुनियाभर में हम अनेकों राष्ट्रीय खेलों के कड़े समर्थक हैं लेकिन मुझे इस बात को लेकर बेहद खुशी हो रही है कि अब हम भारत में इतने महत्वपूर्ण खेल कार्यक्रम को अपना समर्थन दे रहे हैं। भारत का यह बहुराष्ट्रीय समूह दुनियाभर में कई खेल कार्यक्रमों को समर्थन देता है।

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1, (छ.ग.)

उद्घोषणा

202008101400025
रा.प्र.क्र./540/अ-6/2019-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सतीश नारायण सिंह आ. श्री शंभूनारायण सिंह साकिन बोरसी दुर्ग के द्वारा ग्राम हनोदा प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा न. 529/1 कुल रकबा 0.0870 हे. में से 0.011 हे. भूमि विक्रेता श्रीमती उर्मिला बाई पति स्व. चोवाराम निवासी रूवाबांधा बस्ती भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 14/8/2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 31/08/2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/8/2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्ष एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1, (छ.ग.)

उद्घोषणा

202008101400024
रा.प्र.क्र./541/अ-6/2019-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती प्रेम सिंह पति श्री सतीश नारायण सिंह बोरसी दुर्ग के द्वारा ग्राम हनोदा प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा न. 529/1 कुल रकबा 0.0870 हे. में से 0.015 हे. भूमि विक्रेता श्रीमती उर्मिला बाई पति स्व. चोवाराम निवासी रूआबांधा बस्ती भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 14/8/2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 31/08/2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/8/2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्ष एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1, (छ.ग.)

उद्घोषणा

202008101400026
रा.प्र.क्र./539/अ-6/2019-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक टी. जयंत कुमार नायडू आ. टी. हेमंत कुमार नायडू व अन्य-1 निवासी मरोदा सेक्टर भिलाई के द्वारा ग्राम हनोदा प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा न. 328/1, 529/1 रकबा क्रमशः 0.009, 0.008 हे. भूमि विक्रेता श्रीमती उर्मिला बाई पति स्व. चोवाराम निवासी रूआबांधा बस्ती भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 14/8/2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 31/08/2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/8/2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्ष एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (अण्डा) के न्यायालय में मामला क्रमांक 202008101200011

विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2019-20
चन्दखुरी प.ह.नं. 00029(433/8 (0.1930हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - श्रीमती भारती साहू,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

[illegible]

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 24/8/2020 को जारी किया जाता हैं।

सील
Durga sahu
नायब तहसीलदार
अण्डा सर्किल, दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (अण्डा) के न्यायालय में मामला क्रमांक 202008101200012

विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2019-20
चन्दखुरी प.ह.नं. 00029(433/8 (0.1930हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - श्रीमती फुलेश्वरी,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

[illegible] ... से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 24/8/2020 को जारी किया जाता हैं।

सील
Durga sahu
नायब तहसीलदार
अण्डा सर्किल, दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला दुर्ग

उद्घोषणा

पंजीयन नं. 202008100400884

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कामता प्रसाद साहू आ. रामकरायन साहू निवासी उमरपोटी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.नं. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 411/9 रकबा 0.0200 हे./ 2244 वर्गफुट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक 202008211100059

विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 20
भाटापारा प.ह.नं. 00011 (हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - रामदयाल साहू
अनावेदक पक्षकार - छत्तीसगढ़ शासन

ईश्तहार

[illegible]

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 27/08/2020 को जारी किया जाता है।

सील
MAHESH SINGH RAJPUT
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
भाटापारा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक 202008211100058

विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 20
खोलबा प.ह.नं. 00002 (हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - ओमेशचंद्र वर्मा,
अनावेदक पक्षकार - छत्तीसगढ़ शासन

ईश्तहार

[illegible]

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 27/08/2020 को जारी किया जाता है।

सील
MAHESH SINGH RAJPUT
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
भाटापारा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

पंजीयन नं. 202008100400697

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मंजू पांडेय [illegible]

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

आन लाईन पंजीयन

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सूरजसिंह [illegible]

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला दुर्ग

उद्घोषणा

पंजीयन नं. 202008100400604

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेश्वर प्रसाद साहू [illegible]

... को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 19/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पिथौरा जिला महासमुंद (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 99 अ/2 वर्ष 2019-20
ग्राम लहरौद प.ह.नं. 04
तहसील पिथौरा जिला महासमुंद

[illegible]

आज दिनांक 27/8/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक 202008211100057

विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 20
हथनी प.ह.नं. 00040 (हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - श्रद्धा तिवारी
अनावेदक पक्षकार - छत्तीसगढ़ शासन

ईश्तहार

[illegible]

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 27/08/2020 को जारी किया जाता है।

सील
MAHESH SINGH RAJPUT
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
भाटापारा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक 202008211100061

विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 20
हथनी प.ह.नं. 00040 (हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - राम सेवक साहू
अनावेदक पक्षकार - छत्तीसगढ़ शासन

ईश्तहार

[illegible]

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 27/08/2020 को जारी किया जाता है।

सील
MAHESH SINGH RAJPUT
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
भाटापारा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक 202008211100060

विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 20
पेंड्री प.ह.नं. 00001 (हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - सुनीता साहू, अंजू साहू
अनावेदक पक्षकार - छत्तीसगढ़ शासन

ईश्तहार

[illegible]

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 27/08/2020 को जारी किया जाता है।

सील
MAHESH SINGH RAJPUT
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
भाटापारा (छ.ग.)

नाम सुधार

पब्लिक नोटरी, दुर्ग शपथ-पत्र

मैं परवीन शाद पति समीर कुतुब सिद्दिकी, उम्र 37 वर्ष, निवासी प्लाट नं. 08, शहनाज निवास, शिक्षक नगर कोहका जुनवानी रोड भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं जो कि निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक प्रस्तुत करती हूं- 1. यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार है। 2. यह कि मेरे पासपोर्ट में त्रुटिवश मेरे पति का नाम SAMEER UQTUB अंकित हो गया है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरे पति का वास्तविक व सही नाम SAMEER QUTUB SIDDIQUI है जो कि सही एवं सत्य है। 3. यह कि SAMEER QUTUB व SAMEER QUTUB SIDDIQUI दोनों मेरे पति का नाम है तथा मेरे पति जो कि एक ही व्यक्ति है जो कि सही व सत्य है। तथा मेरे पति जो कि SAMEER QUTUB SIDDIQUI s/o QUTUB UDDIN के नाम से जाने, पहचाने एवं पुकारे जाते हैं। 4. यह कि मेरे भविष्य के समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रमाण पत्रों में मैं अपना नाम- परवीन शाद पति समीर कुतुब सिद्दिकी (PARVEEN SHAD W/O SAMEER QUTUB SIDDIQUI) ही दर्ज करवाना चाहती हूं। 5. यह कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही एवं सत्य है तथा किसी भी तथ्य को छुपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। किसी भी तथ्य के असत्य या गलत पाए जाने पर उसकी समस्त जवाबदारी मेरे स्वयं की होगी। 6. यह कि यह शपथ पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष नाम सत्यता के संबंध में प्रस्तुत कर रही हूं।

शपथकर्ता

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., संभाग क्र.-3

डी-1/17, सेक्टर-17, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक- 3043/NIT-11/2020-2021/व ले लि — दिनांक : 28/08/2020

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 16/09/2020 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 28/09/2020 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 29/09/2020 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक
निविदाकारों की श्रेणी :- सभी निविदाओं हेतु ई-पंजीयन के अंतर्गत श्रेणी ''द'' से ''अ'' तक

निविदा क्र.	कार्य का नाम NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रु.में) बैंक साल्वेंसी (रु.में)
1	2	3
	मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत विभिन्न मार्गों में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	
T0083	शास.हाई स्कूल भवन ठेलकाबांधा एवं शास.पूर्व माध्यमिक शाला बिरौदा में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	19.17 14800.00 295500.00
T0084	शास.हाई स्कूल भवन गोइपारा में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	14.34 10800.00 215100.00
T0085	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपैरी में पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	17.87 13500.00 268100.00
T0086	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केन्द्री में पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	15.07 11350.00 226100.00
T0087	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोरपा एवं पशु औषधालय खोरपा में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	19.34 14600.00 290100.00
T0088	पूर्व माध्यमिक शाला छछानपैरी में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	14.45 10900.00 216800.00
T0089	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी टेकारी में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	13.71 10300.00 205700.00
T0090	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेकारी में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	10.27 7800.00 154100.00
T0091	शास. हाई स्कूल भवन सारखी में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	13.98 10500.00 209700.00
T0092	शास. प्राथमिक एवं मिडिल विद्यालय सारखी में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	14.78 11100.00 221700.00
T0093	हाईस्कूल भवन परसदा (विद्यामंदिर) अभनपुर में पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	17.87 13450.00 268100.00
11 T0094	शास. हाईस्कूल भवन सुन्दरकेरा, पशु औषधालय भवन सुन्दराकेरा, पूर्व माध्यमिक शाला जामगांव एवं पशु औषधालय भवन जामगांव में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	19.35 14600.00 290250.00
11 T0095	हाई स्कूल भवन खोला में पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	11.77 8900.00 176600.00
11 T0096	उप स्वास्थ्य केन्द्र पटेवा, उप स्वास्थ्य केन्द्र दुलना, पशु चिकित्सालय तर्री एवं शास. हरिहर हायर सेकेंडरी स्कूल नवापारा में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	18.83 14200.00 282500.00
11 T0097	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आवासीय भवन अभनपुर में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	15.48 11650.00 232200.00
11 T0098	हायर सेकेण्डरी भवन मानिकचौरी में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	10.96 8250.00 164500.00
11 T0082	उपसंभाग क्रमांक 3 नवा रायपुर के अंतर्गत चम्पारण हायर सेकेण्डरी स्कूल पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	18.90 14200.00 283500.00

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है। अन्य जानकारी हेतु संभागीय कार्यालय में संपर्क करें।

कार्यपालन अभियंता
जी-83392/3 — लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3 रायपुर

हंसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने रचा सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान

- **मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दी विद्युत कर्मियों को बधाई**
- **अधिकतम 87.7 मि.यू. मासिक विद्युत उत्पादन दर्ज**

कोरबा/रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के हंसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने माह अगस्त 2020 में 87.743 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करअपने जीवन काल में सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा।साथ ही 98.278 प्रतिशत केपिसिटी यूटीलाइजेशन फैक्टर अर्जित किया, जो कि विगत 25 वर्षों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ सी यू एफहोने की मिसाल है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पावर कंपनीज के चेयरमैन श्री सुब्रत साहू एवं जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एन. के. बिजौरा सहित उनकी टीम को बधाई दी। साथ ही कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण काल में ऐसी उत्कृष्ट कार्यशैली को बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया।

पावर कंपनीज के चेयरमैन श्री सुब्रत साहू ने इस अभूतपूर्व उपलब्धि का श्रेय हसदेव बांगो जल विद्युत गृह में सेवारत अधिकारियों कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और अथक परिश्रम को दिया। इसी क्रम में जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री बिजौरा ने बताया कि हंसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने पूर्व में वर्ष 2011 के माह अक्टूबर में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पत्ति का प्रदर्शन करते हुए 82.611मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन सहित 92.53प्रतिशत सी यू एफ दर्ज किया था। वर्तमान में कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जूझते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कर्मियों ने अपनी उत्कृष्ट कार्य दक्षता के बूते पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन किया।साथ ही प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में बनाए रखा है। विदित हो कि वर्ष 1994-95 में इस जल विद्युत गृह में 40, 40 मेगावाट क्षमता की तीन विद्युत इकाइयों की स्थापना की गई थी। तब से लेकर अब तक के अपने जीवन काल में इन ईकाईयों ने चालू वित्तीय वर्ष के माह अगस्त में अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन कर एक नई मिसाल को प्रदर्शित किया है। जनरेशन कंपनी की यह सबसे बड़ी जल विद्युत इकाई है। किफायती दर पर विद्युत उत्पादन के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत गृह होने का गौरव भी इसे प्राप्त है।

हर हाल में 20 सितम्बर तक पूर्ण करें गिरदावरी के कामः कलेक्टर

- **गावों में सूखे जगहों का करें गौठान के रूप में इस्तेमाल**
- **कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये ली अफसरों की बैठक**

भाटापारा। कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने 20 सितम्बर तक हर हाल में गिरदावरी का काम पूर्ण करने को कहा है। उन्होंने गिरदावरी कार्य की लगभग एक महीने की प्रगति पर नाखुशी जाहिर की है। तहसीलों में फिलहाल 25 से 30 प्रतिशत तक गिरदावरी का काम हुआ है। श्री जैन आज यहां कलेक्टोरेट स्थित चिप्स कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये जनपद कार्यालयों में सभी एसडीएम, तहसीलदार और जनपद पंचायतों के सीईओ की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। जिला पंचायत सीईओ डॉ. फरिहा आलम सिद्धिकी एवं अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र गुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि किसानों से धान खरीदी का काम राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। गिरदावरी से ही पता चलेगा कि वास्तव में कितने रकबे में किसानों धान की फसल लगाई है। इसी के अनुरूप धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन होगा। गिरदावरी के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हर खसरा नम्बर के रकबे पर पहुंचकर फसल का मुआयना करते हैं और पंजी में रकबे का रिकार्ड रखते हैं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा

कि इस वर्ष धान की खरीदी का कार्य भुईंया साफ्टवेयर से मिलान करके किया जायेगा। इसलिए इस साफ्टवेयर का आज की तारीख में अपडेट कर लिया जाये। ये सभी कामों को समय-सीमा में पूर्ण करने की जवाबदारी संबंधित राजस्व अधिकारी की होगी।

कलेक्टर ने कहा कि जिला मुख्यालय में निर्मित कोविड अस्पताल की क्षमता अब पूर्ण हो गई है। ज्यादा संख्या में कोरोना मरीजों की पहचान हो रही है। इसलिए अब हमें उन सभी के लिए इलाज की सुविधा विकासखण्ड स्तर पर विकसित करनी होगी। उन्होंने खण्ड स्तर पर चिन्हित भवनों में एक-दो दिनों में आवश्यक सुधार करके तैयार रखने के निर्देश दिये। गौरतलब है कि विकासखण्ड स्तर पर भाटापारा में पालीटेक्निक कॉलेज, सिमगा में आईटीआई, पलारी में एससी गर्ल्स आश्रम, बिलाईगढ़ में डीएव्ही स्कूल खम्हरिया, कसडोल में एसटी बॉयस हॉस्टल और बलौदाबाजार में आश्रय भवन को कोविड केयर सेन्टर बनाया जा रहा है। उक्त सेन्टरों की मरीज क्षमता लगभग 700 की है। उन्होंने इन सेन्टरों के लिए बिस्तर आदि का इंतजाम स्थानीय स्तर पर करने को कहा है।

कलेक्टर ने बैठक में गौठानों के ताजा हालात की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कीचड़ युक्त गौठानों में गाय-बैलों को नहीं रखा जाये। उन्हें गांव में उपलब्ध अन्य वैकल्पिक और सूखे जगह पर रखा जाये। गीले स्थलों पर बीमारी होने की संभावना रहती है। श्री जैन ने राजस्व और पंचायत के अधिकारियों को ग्रामीण सूचना तंत्र को मजबूत रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि समय पर सूचना मिल जाने से समस्या का निदान तत्काल करनें में सुविधा होती है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

नक्सलियों के बाद अब...

भार्गव (वर्क) शामिल हैं। कश्मीर में ऑपरेशन हेड राजेश कुमार का ट्रांसफर संजय कौशिक के साथ देहरादून सेक्टर में हो गया है।

तबादला होने के बाद आईजी जम्मू बना दिया

बिहार के बाद उनका ट्रांसफर बतौर आईजी जम्मू कर दिया गया, जहां उनका लंबा और शानदार कार्यकाल रहा। इसके बाद सोमवार को उनका तबादला श्रीनगर सेक्टर में कर दिया गया। सीआरपीएफके मौजूदा डायरेक्टर जनरल (डीजी) ए.पी. माहेश्वरी भी 2005 में श्रीनगर सेक्टर के आईजी पद पर रह चुके हैं।

जहां बनी आईजी वहां तीन जिलों का कंट्रोल

सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर में जम्मू-कश्मीर के तीन जिले बडगाम, गांदेरबल, श्रीनगर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आता है। इस सेक्टर में 2 रेंज, 22 कार्यकारी यूनिट और 3 महिला कंपनी आती है।

लद्दाख में चीन को...

भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर दोनों पक्षों के बीच ताजा टकराव से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए मंगलवार को एक और दौर की सैन्य वार्ता चल रही है। यह मीटिंग चुशूल में सुबह 10 बज से ही चल रही है।

आपको बता दें कि भारतीय सेना ने सोमवार को कहा था कि चीनी सेना ने 29 और 30 अगस्त की दरम्यानी रात पूर्वी लद्दाख में उकसावे की कार्रवाई करते हुए पैंगोंग झील के दक्षिण में एकतरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश की।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. पक्षकार का नाम श्री.एस.प्रसाद राव ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202008100400832

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री एस.प्रसाद राव आ स्व. सूर्यनारायण निवासी सेक्टर 05 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं.1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	269/1	0.020 हें 2450 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2019-20

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अरुण कुमार आ. श्यामलाल निवासी डुण्डेरा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम डुण्डेरा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 334, 1161, 1165, 1316, 1410, 1451/1, 1453, 1460 रकबा 0.05, 0.012, 0.06, 0.91, 0.20, 0.41, 0.48, 0.50 हें भूमि जो कि योगेश कुमार अन्य सहखातेदार शांतिबाई के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु 05.01.2018 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 17.09.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती श्रेयसी सेनगुप्ता पिता श्री मलय सेनगुप्ता अन्य निवासी एलआईजी 120 दीनदयाल कालोनी जुनवानी भिलाई मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 31/54 शामिल ख.न. 32/359 रकबा 0.006 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता/ आम मुख्तयार हेमलता साहू पिता/ पति त्रिलोक साहू से दिनांक 19.08.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 15.09.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका नीतू अग्रवाल पिता/ पति मनीष अग्रवाल निवासी वार्ड 15 जयंतीनगर सिकोला मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 80/49 रकबा 875 वर्गफीट भूमि को विक्रेता/ आम मुख्तयार शशिकला सिंह पिता/ पति ललित प्रसाद से दिनांक 28.07.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 15.09.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती अल्का स्वाई पिता/ पति प्रदीप स्वाई निवासी वार्ड 15 जयंती नगर सिकोला मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 80/49 का टु. रकबा 875 वर्गफीट भूमि को विक्रेता/ आम मुख्तयार शशिकला सिंह पिता/ पति ललित प्रताप से दिनांक 28.07.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 15.09.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.08.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400878

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री कुंवर सिंह देवहारी आ. स्व. झुग्गर राम देवहारी निवासी पसौद जिला बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम हनोदा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 746/5 रकबा 0.033 हें/ 3575 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400879

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री चतुरराम आ. हेमलाल निवासी खपरी जिला बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 717/24 रकबा 0.02 हें/ 2205 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400876

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री संतूलाल आ. घनश्याम दास निवासी रिसाली सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 717/13 रकबा 0.02 हें/ 2300 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400877

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री वेदराम नील कमल आ. रामाधार नील कमल निवासी बलोदा बाजार रायपुर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 717/14 रकबा 0.022 हें/ 2280 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400880

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री चंद्रशेखर नेताम आ. भगतराम नेताम निवासी पांच बिल्डिंग दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 717/17 रकबा 0.015 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400699

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री तनुजा देवागंन पति श्री शंकर लाल देवागंन निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 833/4 रकबा 0.014 हें 1487 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400702

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री डोमार सिंह बंजारे आ सखाराम बंजारे निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 453/37 रकबा 0.020 हें 2200वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400662

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजेन्द्र कुमार बंजारे / गिरिवर प्रसाद बंजारे भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 833/2 रकबा 0.020 हें 2234.5 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400657

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अन्तर्यामी नायक / स्व0 दुतिया नायक व अन्य 02 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 982/15 रकबा 0.092 हें ,10.000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20/06/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400663

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक आजाद सिंह टेगरे / दीप सिंह टेगरे निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 228/12 रकबा 0.030 हें 3000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400665

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मोनिका चौहान पति श्री राजेश कुमार निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 753/3 रकबा 0.025 हें /2682 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400677

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका प्रेमलता योगी / रामकृष्ण योगी निवासी धनोरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प0ह0न 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 127/4 रकबा 0.010 हें 1050 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400676

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मतिलका गडेवाल/भूषणलाल गडेवाल निवासी बोरसी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प0ह0न 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 122/8 रकबा 0.020 हें 2244 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400847

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक टी.एस.निषाद आ0 स्व0 बंशीराम निषाद निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 216/15 रकबा 0.015 हें /1539 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400684

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री गंभीर दास आ. श्याम दास निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 453/35 रकबा 0.020हें2200 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400754

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिव प्रसाद आत्मज सुखराम निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 351/12 रकबा 0.020 हें2500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400755

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री टोमन सिंह साहू आ0 जोहन लाल साहू निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 759/19 रकबा 0.010 हें/1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं.1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400824

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्री पार्वती वर्मा पति मोहनलाल वर्मा निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 453/22 रकबा 0.020 हें 2200 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400750

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती उषा देवी वस्त्रकार पति शिवप्रसाद वस्त्रकार निवासी भिलाई सेक्टर 06 द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 122/5 रकबा 0.020 हे 2267.57 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं.1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400850

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती स्वाती साहू पति श्री धर्मेश कुमार साहू निवासी रामनगर डौडीलोहारा ग्राम बोरसी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 357/45 रकबा 0.015 हें 1720 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देश का त्वरित पालन मात्र दो दिन में महरीन डबरी में लाइट लगकर तैयार

गरियाबंद। नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन के नेतृत्व में गरियाबंद विकास की दिशा में बढ़ते जा रहा है। अपने सपने के अनुरूप स्वच्छ, निर्मल और सुंदर गरियाबंद बनाने के लिए वे भरपुर प्रयासरत रहते हैं उनके साथ ही पालिका प्रषासन की पुरी टीम भी समन्वयक बनाकर कर काम रही है। इसी करा नतीजा है कि पालिका अध्यक्ष के निर्देष पर त्वरित काम देखने को मिल रहा है।

ज्ञात हो कि दो दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन ने पार्षद रितिक सिन्हा, सीएमओ संध्या वर्मा और इंजी अष्वनी वर्मा के साथ वार्ड क्रमांक 15 का आकस्मिक निरीक्षण कर वार्डवासियो की प्रमुख समस्या और मांगो को सुना था। इस दौरान उन्होने महरीन डबरी में लाइट और कुर्सी लगाने के निर्देष पालिका प्रषासन को दिए थे। पालिका अध्यक्ष के निर्देष पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पालिका प्रषासन ने दो दिन के भीतर ही यहां लाइट और कुर्सी की व्यवस्था कर दी। जिससे इस तालाब का दृष्य अब रायपुर के मरीन ड्राइव जैसे दिखने लगा है। इसके साथ ही यहां और भी निर्माण कार्य होने है जिससे यह तालाब सुंदर स्वच्छ दिखने के साथ ही लोगो के मनोरंजन के लिए भी उपयोगी साबित होगा।

नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन से चर्चा करने पर उन्होने बताया कि वार्ड पार्षद रितिक सिन्हा एवं वार्डवासियो की मांग पर महरीन डबरी का सौदर्यीकरण करते हुए इसे मनोरंजन के दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। डबरी के चारो ओर लाइट और कुर्सी लगाने के निर्देष दिए है। अभी केवल एक ही फेस में काम पूरा हुआ है। शीघ्र ही डबरी के चारो ओर लाइट और कुर्सी लगाने का काम पूरा होगा। उन्होने बताया कि यहां लाइट लगने के अलावा गुमटी चाट सेंटर जैसे फास्ट फुड दुकान खोलने की भी तैयारी है।

न्यूज गैलरी

जिलें में 31 अगस्त को 7 कोरोना पाजिटिव मिले

कवर्धा। कबीरधाम जिलें में आज 31 अगस्त को सोमवार को 07 कोरोना पाजिटिव चिंहाकिंत हुए है, तथा इलाज उपरांत 06 मरीज का डिस्चार्ज हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस के तिवारी ने बताया कि 31 अगस्त को कबीरधाम जिले के सभी ब्लाक में व्ही.टी.एम 25, ट्रूनॉट-00 आर.डी एन्टीजेंन-256 सेम्पलिंग किया गया। आज कोरोना पाजिटिव चिंहाकिंत मरीज का विवरण निम्नानुसार है- विकासखंड कवर्धा के शहरी क्षेत्र से 01 ,ग्रामीण क्षेत्र से 02 तथा विकासखंड पंडरिया से 04, कुल 07 नये धनात्मक मरीज पाया गया जिनका कान्ट्रेट ट्रेसिंग कर कोविड केयर सेन्टर महाराजपुर में भर्ती किया जा रहा है, एवं आस-पास एक्टिव सर्विलेंस किया जा रहा है। जिले में 31. अगस्त तक कुल 20410 सेंपल लिए गये है जिसमें से 19650 की रिर्पोट प्राप्त हुई है। अब तक प्राप्त रिर्पोट में 407 पाजिटिव तथा 19243 निगेटिव पाये गये है। आज तक पाये गये 407 पाजिटिव चिंहाकिंत मरीजों में से 266 मरीजों को इलाज उपरांत डिस्चार्ज किये जा चुके है इस प्रकार अभी की स्थिति में जिले में 139 कोरोना पाजिटिव मरीजों का इलाज जारी है एवं 02 मरीज की मृत्यु हुई है।

मस्जिद के पास एक्सीडेंट एक घायल

पांडातराई। थाना पांडातराई क्षेत्रांतर्गत ग्राम पांडातराई मेन रोड मस्जिद के पास में एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर डायल 112 पांडातराई पैंथर 1 को तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना किया गया । डायल 112 टीम घटना स्थल पहुंचे जहां एक व्यक्ति मोहन मल्हा पिता नर्मदे मल्हा उम्र 35 वर्ष जो स्वयं के मोटरसाइकिल से रोड के गड्ढे से उछलकर गिर गया था जिससे उसके चेहरे एवं होठ में चोट आई थी जिसे तत्काल उपचार हेतु 112 वाहन में बैठाकर उसके परिजनों के साथ रेडियंस हॉस्पिटल कवर्धा ले जाकर भर्ती कराये ।

सरकारी पैसे का दुरुपयोग और गबन, 3 पूर्व सरपंच गिरफ्तार

महासमुंद। सरकारी राशि का दुरुपयोग और गबन करने वाले पंचायत के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी के तहत बसना ब्लॉक के तीन पूर्व सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह तीन पूर्व सरपंच और एक सचिव के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली कुणाल दुदावत ने बताया कि शासन की राशि गबन करने वाले सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोमवार को 3 पूर्व सरपंच बिछिया के रूपानंद, गढफुलझर के फुलसिंह सिदार एवं दुलारपाली की कमला बाई को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सरायपाली के साथ-साथ बसना ब्लॉक के ऐसे पूर्व सरपंच जो शासकीय राशि का गबन या दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

महिला ने की खुदकुशी

महासमुंद। अज्ञात कारणों से एक महिला ने फांसी लगा ली। पुलिस ने सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मामला खल्लारी थाना क्षेत्र का है। जानकारी मुताबिक खम्हरिया निवासी पार्वती यादव पति चेतन (30) ने घर के कमरे में रविवार को फांसी लगाकर जान दे दी।

गांव के सांस्कृतिक मंच में बुजुर्गो से सलाह कर शाला संचालन

नवप्रदेश संवाददाता

कवर्धा। राज्य सरकार ने पढ़ई तुंहर दुआर के नाम से वर्चुअल कक्षा मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ हुआ । जून में आते - आते अधिकांश बच्चों और पालकों तक जुड़कर कार्य करने लगे । माह जुलाई में पढ़ाई तुंहर पारा और लाऊड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ हुआ । ग्राम डंगनिया में पढ़ाई तुंहर पारा की भी कक्षा प्रारंभ हुई । प्रतिदिन यहां कार्यरत प्रभारी प्रधान पाठक प्रशान्त विश्वकर्मा द्वारा गांव पहुंच कर ग्राम के पंचो, शालाप्रबंधन समिति एवं बुजुर्गों से सलाह कर गांव के सांस्कृतिक मंचों में शाला संचालन का कार्य प्रारंभ करने हेतु चिन्हांकित किया गया । पंचो के सहयोग से लाउडस्पीकर की व्यवस्था कर प्रतिदिन कक्षा का नियमित संचालन किया जाने लगा अब शाला में कार्यरत दोनों शिक्षक प्रशान्त विश्वकर्मा व सहायक शिक्षक श्री भावेश गोटे स्वस्फूर्त कोविड 19 के सुरक्षा नियम का पालन करते हुए कक्षा का संचालन कर रहे है साथ ही वर्चुअल कक्षा का भी संचालन कर रहे है ।

इसी तारतम्य में ग्राम के नवयुवकों ने अपने शिक्षकों से प्रेरित होकर गाव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया और वे स्वयं प्रभारी प्रधानपाठक व अपने पूर्व शिक्षक से मिलकर पढाने की इच्छा जाहिर की तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन में अब वे वालेंटियर के रूप में कार्य कर रहे है । संध्या काल मे शाला में पढ़ने वाले बच्चों को घर घर सम्पर्क कर उनके पढ़ाई में आ रहे समस्या का समाधान कर रहे है । शिक्षक सारथी के रूप में मोहन साहू, परमेश्वर साहू अपना भरपूर सहयोग दे रहे है । गाव के सभी वर्ग के व्यक्ति सभी के निस्वार्थ कार्य की प्रशंसा कर रहे है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने जैविक दवाईयों का निर्माण कर रही है महिला समूह

■ अतिरिक्त आय का साधन भी बना

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्राम सुराजी योजना तथा गोधन न्याय जैसे महत्वपूर्ण योजना संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि स्थानीय संसाधन से जैविक खेती और जैविक खाद के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। रासायनिक खाद के बेतरतीब उपयोग से धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। ऐसे में जैविक खाद और जैविक दवाईयों का प्रचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिशन में ग्रामीण महिलाए भी पीछे नहीं है। जनपद पंचायत छुरा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूचि शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के विकासखण्ड छुरा अंतर्गत ग्राम रानी परतेवा के तिग्गा क्लस्टर के ग्राम संगठन जय गंगा मैया के जय मां सरस्वती समूह की सक्रिय सदस्य श्रीमती गायत्री साहू द्वारा इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। बिहान के सीएसएमएस परियोजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए एनपीएम शॉप के माध्यम से ग्राम स्तर पर विभिन्न जैविक दवाईयों तथा खाद का निर्माण और उपयोग किया जा रहा है। सदस्य गायत्री साहू द्वारा बताया गया कि वे नाडेप खाद, केचुआ खाद, घना जीवामृत, नीमास्त्र, अग्नास्त्र, बेसरम पत्री दवाई, डण्डी दवाई, अमृत पानी तथा अमृत खाद का निर्माण स्वयं

श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन

ख़रोरा। इस वर्ष करोना वायरस संक्रमण रोग के चलते नगर सहित आसपास ग्रामीण अंचलों में नगर के सर्वजनिक पंडाल पर श्री गणेश जी विराजमान है तथा अधिकांश लोगों श्री गणेश को अपने घरों में स्थापना कर 11 दिवस पूरे विधि-विधान से पूजन पूजा अर्चना कर इस संकट की घड़ी को टालने का प्रार्थना श्री गणेश से किया आज घर में स्थापित गणेश जी का विसर्जन करने पर लोगों ने श्री गणेश से जी यही प्रार्थना किया कि यह घड़ी आने वाले साल तक समाप्त हो जाये।

अनंत चतुर्थी पर्व पर अमन पूजा में शामिल भक्त

खरोरा। सोमवार को अनंत चतुर्थी पर्व मनाया गया । इस अवसर पर कुछ सर्वजनिक पंडालों सहित घरों में स्थापित भगवान गणपति स्थल पर मंत्र के साथ हवन पूजन तथा विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान का आसन हटाया गया। मंगलवार को तालाबों में प्रतिमा का विसर्जन होगा और इसी के साथ गणेश उत्सव का समापन हो जाएगा।

फिट इंडिया के अंतर्गत युवाओं ने किया योग, दौड़ एवं साईकल रैली

कवर्धा (नवप्रदेश)। नेहरू युवा केंद्र कवर्धा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में श्री सौरभ कुमार निषाद जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केंद्र के कुशल नेतृत्व में न्यू इंडिया फिट इंडिया रन फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत युवा मंडल, युवती मंडल के द्वारा राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के पहल पर प्रतिदिन फिट इंडिया में अपने आप को फिट करने के लिए दौड़ योगाभ्यास एवं खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक लोकेश देवांगन के अगुवाई में ग्राम बिरकोना में व्यायाम नागरिक सुरक्षा युवा मंडल, ग्राम खैरझिटी खुर्द पंचायत सोनपुरी में योग जय बजरंग युवा मंडल एंव कवर्धा के भोरमदेव युवा मंडल द्वारा साईकल रैली निकालकर सभी लोगो को फिट रहने का संदेश दिया गया। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र कवर्धा के द्वारा कबीरधाम जिले के चारों विकास खंडों में युवाओं को दौड़ अभ्यास, योग कराया जा रहा है। कवर्धा ब्लॉक में कीर्ति साहू के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल किया जा रहा है। इसी प्रकार सहसपुर लोहारा में ओंकार सिंह राजपूत, ओमप्रकाश मंडावी के द्वारा युवाओं को फिट इंडिया में दौड़ कराया जा रहा है। बोड़ला ब्लॉक में जैनू पटेल, भीषण के द्वारा युवाओं को दौड़ कराया जा रहा है और पंडरिया ब्लाक में नागेंद्र मोहल्ले, पुरुषोत्तम निर्मलकर के पहल पर फिट इंडिया में युवा युवतियों को फिट रखने के लिए दौड़ का व योगाभ्यास जैसे एक्टिविटी कराई जा रही है।

ब्रांच मैनेजर एन, पी, सैनी हुए सेवानिवृत

कवर्धा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा खडौदा के ब्रांच मैनेजर एन, पी ,सैनी जो विगत 30 वर्षो से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मे कार्यरत थे । कार्यसेवा के अंतिम समय शाखा खडौदा मे कार्यरत थे जो 31 अगस्त को सेवानिवृत हुए। शाखा खडौदा मे स्टाफ के लोगो द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया जिसमे गांव के लोग भी उपस्थित हुये। विदाई समारोह मे श्री एन, पी ,सैनी ने कहा बैंक मे कार्य करना बड़ी चुनौती होती है। ग्राहक को संतुष्ट करना एवं बैंक को प्रगति की ओर ले जाना बडी जिम्मेदारी का कार्य होता है, इसके अलावा स्टॉफ के सथा परिवार की तरह व्यवहार करना होता है। बैंक 1998 मे घाटे के कारण धारा 11 मे चला गया था और बंद होने के कगार मे आया गया था। तब बैंक के कर्मठ और ईमानदार कर्मचारियों के कारण बैंक को संजीवनी मिली और फिर से उंचाईयों मे पहुंच गया। विदाई समारोह मे प्रमुख रुप से सोनप्रकाश वर्मा,महेश चंद्राकर, गुलषन दिवान, सुरेश कुमार शर्मा, बलराम ठाकुर, दानीराम नेताम, भागवतदास मानिकपुरी, भीखुराम साहू, बलराम वर्मा, रमेश वर्मा, नीलकमल चंद्रवंशी, कोमलप्रसाद तिवारी,भास्कार तिवारी, मुकुंददास मानिकपुरी,माखन साहू सहित स्टाफ के लोग उपस्थित थे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400827

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्राकेश कुमार कोशले आ. सियाराम कोशले निवासी टाऊनशीप रूआबांधा भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 344/18 रकबा 0.011 हें/1100 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400842

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रवीण चंद आ स्व0 जुड़ावन निवासी -मुड़गहन पोष्ट मोख जिला बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 344/6 रकबा 0.010 हें/1100 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400840

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय कुमार साहू आ0 मानिक राम साहू निवासी मालीडीह पोष्ट खौली द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 332/36 रकबा 0.019 हें/2100 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400838

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक संतोष कुमार सिंह आ0 उमयनारायण निवासी राधाकृष्ण मंदिर के पीछे भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 372/17 रकबा 0.020 हें/2200वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400836

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक भूखन लाल आ स्व0 झाडूराम साहू निवासी - सेक्टर 04 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प0ह0न 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 680/24 रकबा 0.0170 हें/1800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400837

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पी स्वामी आ0पी किश्ताईया निवासी पदमनाभपुर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 438/8 रकबा 0.011हें/ 1287 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400841

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक जयप्रकाश पांडेय आ मुक्तिनाथ पाण्डेय निवासी - रिसाली सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 775/04 रकबा 0.018 हें/2000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400835

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक हीरालाल साहू आ उमेंद सिंह साहू निवासी से007 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प0ह0न 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 680/23 रकबा 0.0170 हें/1800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400834

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गजानंद वर्मा आ बिसाहू वर्मा निवासी -से010 भिलाई निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 727/29 रकबा 0.020 हें/2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400833

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रमेश कुमार वर्मा आत्मज छगन लाल वर्मा निवासी मरोदा टैंक दुर्गा चौक भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प0ह0न 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 285/16 रकबा 0.020 हें/2200 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400781

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सुधा साहू पति श्री लोकेश कुमार साहू निवासी मतवारी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प0ह0न 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 565/137 रकबा 0.014हें/1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400782

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती गैंदा बाई अन्य -01 शिव बसंत निवासी स्टेशन मरोदा भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 750/15 रकबा 0.01 हें/1250 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400839

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पूर्णचन्द्र साहू आ कालू साहू निवासी इस्पात नगर रिसाली द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 865/13 रकबा 0.018 हें/2000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400828

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रूपलाल लहरे आ0 अनुज राम लहरे निवासी -सुलौनी सुकुलकारी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 344/16 रकबा 0.020 हें/2150 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202008100400826

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेश कुमार वर्मा आ0धनवार सिंह निवासी धरसीवा रायपुर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उपरपोटी प0ह0न 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 332/34 रकबा 0.020हें/2184 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ0ग0भू0रा0सं01959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.
	श्रीमती शीलू सिंह	202008100400435

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती शीलू सिंह पति श्री अजय सिंह निवासी माडल टाउन नेहरू नगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं.1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम जुनवानी प.ह.न. 53 तह.व जिला दुर्ग	1084/560	0.014 हें 1400 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

भाजपा शासन में दो-दो मंत्री के पीए रहे क्लास टू अफसर की कांग्रेस सरकार में भी चांदी

■ नियम विरूध्द संलग्नीकरण के साथ क्लास वन के असफर जैसे सुविधा

जीवन एस साहू

गरियाबंद। भाजपा शासन काल में दो दो मंत्री के निज सहायक रह चुके जिले के पशु चिकित्सा के विभाग के एक क्लास टू अफसर की कांग्रेस शासन काल में भी काफी पुछ परख है। लोगो को सरकारी काम दिलाने के नाम पर बेवकुफबनाने वाले इस अफसर को कांग्रेस शासन में पशु चिकित्सा विभाग से हटकर जिला परियोजना अधिकारी के पद पर संलग्न कर क्लास वन के अफसर जैसी सुविधाए प्रदान की गई हैं। जिला पंचायत में इसके संलग्न होने के बाद से जिले के हर विभाग के अफसर परेशान है। कारण कि उन्हें अपने काम के लिए कलेक्टर और सीईओ के पहले इस अफसर से होकर गुजरना पड़ता है।

इसके अलावा गरियाबंद से लेकर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित कई जिले के लोग ठेकेदारी और सप्लाई संबंधी काम मिलने के झांसे में आकर इसके कार्यालय के चक्कर काटने मजबूर है कारण कि काम मिलने ले लालच मे अपने पैसे फंसा चुके है। बताया जाता है कि यह अफसर बिते 15 सालो में अपने मूल विभाग के कार्य को करने के बजाय मंत्री विधायक कलेक्टर की चाटुकारिता कर कभी निज सहायक बन जाता है तो कभी किसी अन्य विभाग में संलग्न हो जाता है। यह अफसर अपने मूल कार्य जहां इसकी नियुक्ति है उसे करने मे ना कोई रूचि रखता है और ना ही उसपर ध्यान देता है।

जिले के सभी प्रमुख अधिकारी परेशान

प्रशासनिक सुत्रो के मुताबिक जिले के सभी अधिकारी इससे परेषान है। कई ऐसे विभाग है जिसका काम सीधे जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर से होता है परंतु उनकी फाइले सीधे अफसरो तक पहुंचने के पहले इस अफसर तक पहुचती है, यह अफसर ही उस फाइल के संबंध में हर फैसला करता है जिससे चलते विभागीय अधिकारी परेशान है। उनका कहना है कि जबर्दस्ती इस अफसर को उन पर थोपा गया है इसके कार्यप्रणाली से संतुष्ट नही है। नियम विरूध्द उसे परियोजना अधिकारी बनाया गया है और अनर्गल दबाव बनाकर उसका विरोध भी नही करने दिया जा रहा है।

विशेष आर्थिक अभियान का जिम्मा

विभागीय सुत्रो के मुताबिक इस अफसर को पूर्व कलेक्टर ने एक विशेष आर्थिक अभियान का जिम्मा दिया था। जिसमें जिला पंचायत सीईओ की भी संलिप्ता थी। नए कलेक्टर आने के बाद कलेक्टर ने इसे हटाने के बजाय इस अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए है। इसके चलते जिलेभर में शासन प्रशासन की छबि धुमिल होने लगी है। प्रशासनिक अधिकारी सहित राजनीतिक और सामाजिक वर्ग भी दबे जुबान इस आर्थिक अभियान की पोल खोल रहे है। इसके चलते सत्तारूध्द पार्टी की छबि जमकर धूमिल हो रही है। जनता के बीच शासन प्रशासन की जो स्वच्छ और इमानदारी छबि दिखनी चाहिए वह अब तक पूरी तरह मटियामैली हो गई है।

नियम में नही संलग्निकरण फिर भी मेहरबानी

नाम ना बताने की शर्त पर कई प्रशासनिक सुत्रो ने बताया कि इस अफसर को नियम विरुद्ध जिला परियोजना अधिकारी बनाया गया है। ये अफसर पशु चिकित्सा विभाग में सहायक पशु शल्यज्ञ अधिकारी के पद पर है। जिसका काम मवेशियों का इलाज करना है परंतु पूर्व कलेक्टर ने इसे विभागीय अधिकारियो और सरकारी फाइलो के इलाज का जिम्मा दे दिया है। वैसे तो यह अफसर वर्ग दो श्रेणी का है फिर भी इस पर मेहरबानी करते हुए जिला परियोजना अधिकारी के पद पर इसकी ताजपोशी की गई है। जिसे लेकर जिला प्रशासन के भीतरी खानो मे जमकर कोहराम मचा है। हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसके संलग्निकरण को दबे जुबान गलत बताकर इसे हटाने की मांग कर रहे है।

अफसर इतना हावी की कांग्रेसी भी खुद पस्त

इस अफसर को लेकर चर्चा है कि इस अफसर के सामने खुद सत्तारूध्द पार्टी के कांग्रेसी भी पस्त है। सत्तारूध्द पार्टी के जनप्रतिनिधियो को भी अपने काम के लिए इसके चक्कर काटते नजर आते है। हालाकि अभी तक कोई खुलकर सामने नही आया है परंतु इसे लेकर दबी जुबान उनके मन का आक्रोष भी छलकता है नाम ना बताने की शर्त पर कुछ जनप्रतिनिधियो ने बताया कि कांग्रेस के बड़े नेताओ का संरक्षण इस अफसर को प्राप्त है, ये अफसर वहां हाजिरी लगाकर अपनी चाटुकारिता से उसे संतुष्ट कर दिया है जिसके चलते इस पर कोई कार्यवाही नही होती है।

इस संबंध में जब जिला पंचायत सीईओ विनय लंगहे से चर्चा करने की कोशिश की गई तो उनका फोन लगातार व्यस्त बताया गया।

रोड किनारे लगे झुलते बिजली के तार से दुर्घटना की बनी आशंका

नव प्रदेश संवाददाता

लवन। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित लवन अंतर्गत मरदा रोड से महज 500 मीटर दूरी पर बिजली का झूलता तार किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि आबादी क्षेत्र होने के साथ-साथ किसानों का आना जाना है। शिकायतकर्ता वार्ड 03 पार्षद प्रतिनिधि विनोद अनंत ने शीघ्र ही केबल तार लगाए जाने की मांग लवन विद्युत ऑफिस में जाकर लिखित व मौखिक रूप से किये है। जिस पर विद्युत विभाग द्वारा अब तक पहल नहीं कि गई है। लगता है, विभाग के ठेकेदार को किसी बड़े हादसे का इंतजार है।

विदित हो कि मरदा रोड के किनारे 11 केवी बिजली की तार गुजरी है जो काफी जर्जर हो चुकी है। तथा काफी नीचे झुल रही है। जबकि यहां अधिकांश आबादी क्षेत्र के लोग है। और प्रायः लोग सुबह शाम सड़क के किनारे ही बैठते है ऐसे में किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रोड किनारे से लगा हुआ 11 केवी की तार गुजरी हुई है, उक्त विद्युत तार काफी नीचे झुक गया है, खेत से आने जाने वाले व अनजान राहगीर झूलते विद्युत तार से कभी भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है। उक्त तार रोड किनारे महज 4 फिट ऊँचाई पर ही लटकी हुई है, जो कभी भी दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता। विद्युत विभाग द्वारा मरदा रोड में सभी जगहों पर केवल तार लगा चुके है। लेकिन लवन नगर के वार्ड 3 की अंतिम छोर तक गई विद्युत विभाग के ठेकेदार द्वारा केबल तार की बिछाई को आधा अधूरा करके छोड़ दिया गया है।

विभाग व ठेकेदार की लापरवाही के चलते जर्जर विद्युत तार व झुके हुये विद्युत तार से कभी भी अनहोनी घटनाए घट सकती है। इसके बाद भी बिजली विभाग के ठेकेदार की कुंभकर्णी निंद्रा भंग नही हुई है। शायद विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। भविष्य में कोई अनहोनो घटना न हों इसके लिए नगरवासी विनोद अनंत ने विभाग से अविलंब केबल तार लगाए जाने की मांग किए है।

पेंड्रावन बांध पार से जाना मना

खरोरा। सन् 1902 मे निर्मित पेंड्रावन जलाशय बंगोली में पिछले 40-50 वर्ष की रिकार्ड तोड़ बारीश होने के कारण जलाशय मे लबालब पानी का जलभराव हुआ है। बॉध की जलभराव क्षमता 19.10 पाईट है जो कि पूरी तरह अभी भरा है। पानी की आवक को देखते हुए सिंचाई विभाग ने आधी रात को बॉध के गेट खोलकर तत्काल पानी छोड़ने के आदेश से 70क्यूसेक पानी छोड़ा गया ,इतना ही नही इससे ज्यादा पानी उलट होने से बाहर जा रहे हैं। पेंड्रावन बॉध की जलभराव को देखते हुए व पुरानी बॉध होने के कारण बॉध के पार के दोनो छोर मे बैरिकेट्स लगाकर आना जाना बंद कर दिया गया है तथा दिन रात विभागीय कर्मचारी पहरा दे रहे हैं,पहले बॉध के ऊपर से सायकल, मोटरसायकल व पैदल हजारों लोग दिनभर मे आवाजाही करते थे। कुल 11 ग्राम की सिंचित जीवनदायिनी पेंड्रावन बॉध की निर्माण लागत राशि 2ञ्33 लाख रुपये है। पिछली सरकार के कार्यकाल मे इस बॉध को मृत बताकर अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी को बेच दिया गया था जिसको तत्कालीन धरसींवा विधायक देवजी भाई पटेल व क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, पैदल मार्च, भूख हड़ताल करके उक्त पेंड्रावन बॉध को बचाया जा सका।